[2022] 1 एस. सी. आर. 269

एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत)।

वी.

पोन्नसामी और ओआरएस।

(2011 की सिविल अपील सं. 6659)

20 जनवरी, 2022

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: पुरुषों की स्व-अर्जित संपत्ति

निर्वसीयत हिंदू-ऐसे पुरुष हिंदू की बेटी को विरासत में पाने का अधिकार-आयोजितः यदि निर्वसीयत मरते हुए किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति है या किसी सह-संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त की गई है, तो वह विरासत द्वारा हस्तांतरित की जाएगी न कि उत्तरजीविता द्वारा, और ऐसे हिंदू पुरुष की बेटी

अन्य संपार्श्विकों की तुलना में ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकार का हकदार होगा-क्योंकि विचाराधीन संपत्ति पुरुष हिंदू की स्व-अर्जित संपत्ति थी, भले ही उसकी मृत्यु के बाद परिवार संयुक्त होने की स्थिति में था, उसकी एकमात्र जीवित बेटी विरासत से उसी का उत्तराधिकारी होगी और संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: अधिनियम की योजना-आयोजितः इस अधिनियम की मुख्य योजना दोनों के बीच पूर्ण समानता स्थापित करना है।

संपत्ति के अधिकारों और महिला के अधिकारों के संबंध में पुरुष और महिला को निरपेक्ष घोषित किया गया, एक सीमित संपत्ति की सभी धारणाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया-इस अधिनियम ने हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार के कानून में बदलाव लाए और ऐसे अधिकार दिए जो तब तक महिलाओं की संपत्ति के संबंध में अज्ञात थे-यह अधिनियम विरासत की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ मिताक्षर और दयाभाग द्वारा शासित व्यक्तियों पर लागू होता है।

स्कूलों और उन लोगों के लिए भी जो पहले द्वारा शासित थे

मुरुमकट्टयम, अलियासंतन और नम्बूदरी कानून-यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, जो वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म परार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सहित अपने किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है और यहां तक कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, सिवाय उस व्यक्ति के जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी या सिख है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: धारा 14-महिला हिंदू का पूर्ण अधिकार-आयोजितः 1956 के अधिनियम की धारा 14 महिला की संपत्ति घोषित करती है।

हिंदू को उसकी पूर्ण संपत्ति होना-एस को लागू करने का विधायी इरादा। 14 (1) इस अधिनियम का उद्देश्य एक ऐसी हिंदू महिला की सीमा को दूर करना था जो उसके द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों में पूर्ण हित का दावा नहीं कर सकती थी, लेकिन विरासत में मिली संपत्ति में केवल उसका जीवन हित था - धारा 14 (1) महिलाओं के स्वामित्व वाली सभी सीमित संपदाओं को पूर्ण संपदाओं में परिवर्तित कर दिया और वसीयत या वसीयत के अभाव में इन संपत्तियों का उत्तराधिकार

वसीयतनामा एस के अनुरूप होगा। 15 अधिनियम, 1956 का।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: धारा 15 (2)-अधिनियमन का उद्देश्यः एस को अधिनियमित करने में विधानमंडल का मूल उद्देश्य। 15 (2) होना है।

यह सुनिश्चित करें कि मरने वाली हिंदू महिला की विरासत में मिली संपत्ति बिना किसी मुद्दे के हो।

और इन्टेस्टेट, स्रोत s पर वापस जाता है। 15 (1) (घ) यह उपबंध करता है कि प्रविष्टियों (क)-(ग) में विनिर्दिष्ट महिला के सभी उत्तराधिकारियों को प्राप्त करने में विफल रहने पर, लेकिन तब तक नहीं, उसकी सारी संपत्ति, जो भी अर्जित की गई हो, पिता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी-पिता के उत्तराधिकारियों पर हस्तांतरण उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार होगा जो लागू होते यदि संपत्ति पिता की होती और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसकी निर्वसीयत मृत्यु हो जाती-तय किए गए कानूनी प्रस्ताव को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, क्योंकि 1967 में कुपयी अम्मल की मृत्यु के बाद दायर की गई संपत्तियों का उत्तराधिकार, 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस प्रकार रामासामी गौंडर की बेटी भी अपने पिता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होती है।

हिंदू कानूनः इतिहास और विकास-हिंदू मानते हैं कि श्रुति के विपरीत वेदों, श्रुति (जो सुनी और प्रकट की जाती है) और स्मृति (जो याद की जाती है) में संरक्षित रहस्योद्घाटनों में उनके कानून मौजूद हैं-स्मृतियों में फोरेंसिक कानून या कानून शामिल हैं।

धर्म शास्त्र और माना जाता है कि बहुत में दर्ज किया गया है

' संहिता, स्मृति या दूसरे शब्दों में, विद्वान विद्वान ऋषियों, जैसे कि मनु, यज्ञवलच्य, विष्णु, पराशर और गौतम, आदि की पाठ्य पुस्तकें-उनके लेखन को हिंदू प्रामाणिक कार्य मानते हैं-इन टिप्पणियों पर, पचाने और पचाने के लिए। व्याख्याएँ लिखी गई हैं-विभिन्न विद्वान विद्वानों की टिप्पणियों ने हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों को जन्म दिया है।

- जैसे बंगाल में दया भागा, बॉम्बे में मयूखा, कोंकण और

केरल में गुजरात और मरुमक्कट्टयम या नम्बूद्री और

भारत के अन्य हिस्सों में मिताक्षरा-मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, एल. आर. एस. द्वारा अरूणाचल गौंडर (मृत)।

वी. पोन्नुसामी

यह कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों में से एक है, जिसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है-यह भारत के अधिकांश हिस्सों पर लागू होता है, जिसमें बुनियादी सिद्धांतों के समान होने के साथ मामूली भिन्नताएं हैं।

हिंदू कानूनः दयाभाग प्रणाली और मिताक्षर प्रणाली-बंगाल में दयाभाग प्रणाली प्रचलित है। जबकि मिताक्षर प्रणाली भारत के अन्य हिस्सों में लागू होती है, दोनों प्रणालियों के बीच अंतर इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि, जबकि धार्मिक प्रभावकारिता का सिद्धांत दयाभाग स्कूल के तहत मार्गदर्शक सिद्धांत है, मिताक्षर स्कूल के तहत ऐसा कोई निश्चित मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है-कभी-कभी समरूपता, और अन्य समय में, धार्मिक प्रभावशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माना गया है।

मालिक।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 हिंदू कानून की सटीक उत्पत्ति पुरातनता में निहित है, हालांकि, हिंदू मानते हैं कि उनके कानून 'वेदों', श्रुति (जो सुना और प्रकट किया जाता है) और स्मृति (जो याद किया जाता है) में संरक्षित रहस्योद्घाटनों में मौजूद हैं।

श्रुतियों का विरोधाभास। स्मृतियों में फोरेंसिक कानून या धर्म शास्त्र शामिल हैं और माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा के शब्दों में दर्ज हैं। धर्म शास्त्र या फोरेंसिक कानून मुख्य रूप से उन संस्थानों या संग्रहों में पाया जाता है जिन्हें 'संहिता', स्मृति के रूप में जाना जाता है या दूसरे शब्दों में, विद्वान विद्वान ऋषियों जैसे कि मनु, यज्ञवलच्य, विष्णु, पराशर और गौतम आदि की पाठ्य पुस्तकें। उनके लेखन को हिंदू प्रामाणिक कार्य मानते हैं। इन टिप्पणियों पर डाइजेस्ट और एनोटेशन लिखे गए हैं। इन प्राचीन स्रोतों ने इस प्रकार हिंदू कानून के विकास को रेखांकित किया है। इन स्रोतों का वर्षों से लगातार विकास हुआ, जिसमें कानून की पूरी प्रणाली और [2022] 1 एस. सी. आर. को शामिल किया गया।

निर्णायक प्राधिकारी माने जाते हैं। इन स्रोतों के अलावा सीमा शुल्क, न्याय, न्याय, सद्भावना और न्यायिक निर्णय

उन्होंने हिंदू कानून के विकास में भी सहायता की है। [पैरा 21] [285-सी-ई]

1.2 विभिन्न विद्वान विद्वानों की टिप्पणियाँ

हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों को जन्म दिया-जैसे बंगाल में दया भाग, बॉम्बे में मयूखा, कोंकण और गुजरात और

केरल में मरुमक्कट्टयम या नम्बूदरी और केरल में मिताक्षर भारत के अन्य भाग। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों में से एक है जिसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह मामूली भिन्नताओं के साथ भारत के अधिकांश हिस्सों पर लागू होता है।

मूल सिद्धांत समान हैं। इन मामूली भिन्नताओं ने विभिन्न उप-विद्यालयों का गठन किया, जिनके नाम हैं, बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र/बॉम्बे स्कूल, द्रविड़/मद्रास स्कूल। मिताक्षर को बनारस के स्कूल में अग्रणी प्राधिकरण माना जाता है। बंगाल के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान श्री कोलब्रुक लिखते हैं, "इसके अधिकार और प्रभाव की सीमा जिनोट वाहन ग्रंथ की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि यह बनारस से लेकर भारत के प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक हिंदू कानून के अन्य सभी स्कूलों में प्राप्त होता है, जो उन सिद्धांतों के मुख्य आधार के रूप में हैं जिनका वे पालन करते हैं, और एक ऐसे अधिकार के रूप में जिससे वे शायद ही कभी असहमत होते हैं।" मिताक्षर को हमेशा कानून के सभी स्कूलों के लिए मुख्य प्राधिकरण माना गया है, केवल बंगाल के अपवाद के साथ, जो ज्यादातर दूसरे स्कूलों द्वारा कवर किया जाता है।

दया भाग के नाम से जाना जाने वाला विद्यालय। [पारस 22,23] [285-एफ-एच; 286-ए-बी]

प्राणजीवंदास तुलसीदास बनाम। देव कुवरबाई, बम। एच. सी.

बी. 131-अनुमोदित।

तुलजाराम मोरारजी बनाम। मथुरादास, भगवानदास और

प्राणजीवंदास आई. एल. आर. (1881) 5 बम 662; छोटे लाल बनाम।

चुनू लाल और एक और 1874 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 10 -

संदर्भित किया गया।

1.3 मिताक्षरा के उप-विद्यालयों में से एक-मद्रास विधि विद्यालय भारत के अधिकांश दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यह मिताक्षर लॉ स्कूल के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करता है। द.

मिताक्षर शैली मुख्य रूप से 'याज्ञवल्क्य' द्वारा लिखित स्मृतियों की चल रही टिप्पणियों से उत्पन्न होती है।

एल. आर. एस. द्वारा अन्य महत्वपूर्ण अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी

'चंद्रिका' और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति चंद्रिका। डाइजेस्ट 'याज्ञवल्क्य' में कहा गया है कि "जो किसी ने स्वयं अर्जित किया है, वृद्धि के रूप में, पैतृक संपत्ति को कम किए बिना, उसी तरह किसी मित्र से उपहार या विवाह का उपहार, वह सह-उत्तराधिकारियों का नहीं है।" व्यवस्थ चंद्रिका में 'बृहस्पति' के पाठ का तात्पर्य यह है कि भाई या पिता और जैसे नहीं

एक आदमी की संपत्ति ले लो जो एक आदमी को छोड़े बिना मर गया, जब बेटी जीवित है। पिता के एक ही अंग से उत्पन्न होकर, स्मृति चंद्रिका में एक बेटी को बेटे के बराबर माना गया है। . " ' नाराडा 'इस प्रस्ताव की समानता से अवगत है कि यह बेटी है जिसे सफल होना चाहिए

बेटे और विधवा की विफलता, कहती है, "पुरुष मुद्दे की विफलता पर, बेटी विरासत में मिलती है, क्योंकि वह समान रूप से स्थायी होने का कारण है। दौड़ में। [पैरा 29,30,36,37] [287-डी-ई; 288-एफ-एच]

1.4 ‘ 'मुल्ला' ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ (22 वां संस्करण) में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले के कानून पर चर्चा करते हुए कहा है कि

भारत में हिंदुओं के बीच विरासत की दो प्रणालियाँ हैं, अर्थात् मिताक्षर प्रणाली और दयाभाग प्रणाली। बंगाल में दयाभाग प्रणाली प्रचलित है, जबकि मिताक्षर प्रणाली प्रचलित है।

यह प्रणाली भारत के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। दोनों प्रणालियों के बीच अंतर इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि, जबकि का सिद्धांत दयाभाग स्कूल के तहत धार्मिक प्रभावकारिता मार्गदर्शक सिद्धांत है, मिताक्षर के तहत ऐसा कोई निश्चित मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है

स्कूल। कभी-कभी समानुभूति, और कभी-कभी, धार्मिक प्रभावकारिता को मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया है। 'मुल्ला' के अनुसार, मिताक्षर संपत्ति के हस्तांतरण के दो तरीकों को पहचानता है, अर्थात् उत्तरजीविता और उत्तराधिकार। के नियम

उत्तरजीविता संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पर लागू होती है, और उत्तराधिकार के नियम अंतिम मालिक द्वारा पूर्ण स्वामित्व में रखी गई संपत्ति पर लागू होते हैं। [पैरा 43] [291-जी-एच; 292-ए-बी]

2.1 मुल्ला द्वारा हिंदू कानून में (22 वां संस्करण) निर्धारण करते समय

जिस तरीके से मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक हिंदू पुरुष की संपत्ति, उसकी मृत्यु पर हस्तांतरित होती है, निम्नलिखित प्रस्ताव

ध्यान देने योग्यः - (1) जहाँ मृतक, मृत्यु के समय, संयुक्त और अविभाजित परिवार का सदस्य था, जिसे तकनीकी रूप से सहसदस्य कहा जाता है, मुल्ला द्वारा उसका अविभाजित हित हिंदू कानून (22 वां [2022] 1 एस. सी. आर.

संस्करण) सह-पक्षीय संपत्ति में उत्तरजीविता द्वारा उसके सह-पक्षकारों को हस्तांतरित किया जाता है। (2) (i) भले ही मृतक अपनी मृत्यु के समय संयुक्त था, हो सकता है कि उसने स्व-अर्जित या अलग संपत्ति छोड़ी हो। इस तरह की संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को जाती है धारा 43 में दिया गया आदेश, और अपने सह-भागीदारों को नहीं; (ii) यदि मृतक अपनी मृत्यु के समय था, तो एक का एकमात्र जीवित सदस्य

सह-आंशिक संपत्ति, सह-आंशिक संपत्ति सहित उसकी पूरी संपत्ति, उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।

2.2 मिताक्षर कानून के तहत 'मुल्ला' के अनुसार, विरासत का अधिकार प्रवृत्ति, यानी रिश्ते की निकटता से उत्पन्न होता है। मिताक्षर ने रक्त संबंधों को तीन वर्गों में विभाजित किया, अर्थात्-(क) गोत्र-सपिंडा, अर्थात, उसी गोत्र या परिवार से संबंधित सपिंडा जो मृतक प्रथम से सातवीं डिग्री तक का है। (ख) समनोदक, अर्थात मृतक के समान गोत्र या परिवार से संबंधित व्यक्ति।

8 वीं से 14 वीं डिग्री तक; और (ग) भिन्ना गोत्र सपिंदास, अर्थात, मृतक से भिन्न गोत्र या परिवार से संबंधित सपिंदास। गोत्र

'सपिंडा' और 'समनोदक' वे व्यक्ति हैं जो मृतक से पुरुष वंशजों की एक अखंड रेखा यानी सभी अगंतों द्वारा जुड़े हुए हैं। और भिन्ना गोत्र सपिंद एक महिला के माध्यम से मृतक से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे कि एक बहन का बेटा। मिताक्षर में 'भिन्ना गोत्र' को 'बंधु' के नाम से भी जाना जाता है। ये

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत अब वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग-III और वर्ग-IV उत्तराधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किए गए वर्गीकरण, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले खोली गई संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। [पैरा 45,46] [292-जी-एच; 293-बी-डी] 2.3 मिताक्षरा के अनुसार किसी व्यक्ति के गोत्र सपिंडा इस प्रकार हैंः - ((i) पुरुष वंश में उनके छह पुरुष वंशज; अर्थात, उसका पुत्र, 24 पुत्र का पुत्र, आदि (ii) पुरुष पंक्ति में उसके छह पुरुष आरोही, उनमें से पहले तीन की पत्नियाँ, और संभवतः अगले तीन में से भी; यानी, उनके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत)।

वी. पोन्नुसामी

आदि, मेज में एफ. एल. से एफ. 6 और उनकी पत्नियों का होना, यानी एम. आई. से एम. 6, माँ, पिता की माँ, पिता की माँ, आदि होना। (iii) उनके प्रत्येक पुरुष आरोही की संपार्श्विक पुरुष पंक्ति में छह पुरुष वंशज; अर्थात। , F1 की पंक्ति में X6 से, उसका भाई, भाई का बेटा, भाई का बेटा, आदि होने के नाते; F2 की पंक्ति में X6 से, उसके चाचा, पैतृक चाचा का बेटा, आदि होने के नाते; F3 की पंक्ति में X6 से, उसके पैतृक दादा-चाचा, पैतृक होने के नाते।

दादाजी का बेटा, आदि। ; F4 की रेखा में X6 तक; F5 'की रेखा में X6 तक, और F6 की रेखा में x6 तक। ((iv) उनकी पत्नी, बेटी और बेटी का बेटा। सपिंडा संबंध सात तक फैला हुआ है। मृतक से गणना की गई डिग्री और छह डिग्री, यदि आप मृतक को बाहर करते हैं। विवाह पर पत्नी पति की सपिंडा बन जाती है। बेटी का बेटा गोत्रज सपिंडा नहीं है, वह बंधु है क्योंकि वह मृतक का रिश्तेदार है।

एक महिला के माध्यम से। हालाँकि, उत्तराधिकार के उद्देश्य से, उन्हें गोत्रज सपिंदों के साथ स्थान दिया गया है। [पारस 47,48] [293-डी-एच; 294-ए]

2.4 हिन्दू उत्तराधिकार विधि (संशोधन) अधिनियम, 1929

मिताक्षरा के बंगाल, बनारस और मिथिला उप-विद्यालयों ने केवल पाँच महिला संबंधों को विरासत के हकदार के रूप में मान्यता दी-विधवा, बेटी, माता पैतृक दादी और पैतृक परदादी। मद्रास उप-विद्यालय मान्यता प्राप्त है। बड़ी संख्या में महिला उत्तराधिकारियों की वंशानुगत क्षमता जो बेटे की बेटी, बेटी की बेटी और बहन की है, उन उत्तराधिकारियों के रूप में जिन्हें हिंदू विरासत कानून में स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(संशोधन) अधिनियम, 1929। बेटे की बेटी और बेटी की [2022] 1 एस. सी. आर.

बेटी को बॉम्बे और मद्रास में बंधुओं के रूप में स्थान दिया गया। बॉम्बे स्कूल, जो महिलाओं के लिए सबसे उदार है, ने कई अन्य महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता दी, जिनमें एक सौतेली बहन, पिता की बहन और परिवार में शादी करने वाली महिलाएं जैसे सौतेली माँ, बेटे की विधवा, भाई की विधवा और कई अन्य महिलाएँ भी शामिल थीं।

बँधुस। इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि एक बेटी वास्तव में पिता की अलग संपत्ति विरासत में पाने में सक्षम थी। [पैरा 49,50] [294-बी-एफ]

कटामा नचियार बनाम। श्रीमुत राजा मूतू विजय रागनाधा बोध गूरू सॉमी पेरिया ओडया तावेर (1863) 9 एम. आई. ए. 539; शिवज्ञान तेवर और अन्र। वी. पेरियासामी और ओआरएस। (1818) 1 आईएलआर मद्रास 312;

घुरपतरी और ओआरएस। वी. श्रीमती. सम्पती और ओआरएस। ए. आई. आर. 1976 सभी 195-संदर्भित

3. 1929 का हिंदू लॉ ऑफ इन्हेरिटेन्स (अमेंडमेंट) एक्ट II पहली बार बेटी की बेटी का हकदार था।

हिंदू कानून के सिद्धांत। प्राचीन ग्रंथों के साथ-साथ स्मृतियों, विभिन्न प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तियों द्वारा लिखी गई टिप्पणियों और यहां तक कि न्यायिक घोषणाओं ने भी कई महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों को मान्यता दी है, जिनमें पत्नियां और बेटी सबसे प्रमुख हैं। परिवार में महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार हर मामले में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार थे और कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि कुछ टिप्पणीकारों ने अस्पष्ट संदर्भों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में गलती की। पूर्ववर्ती स्मृतियों में महिलाओं का उत्तराधिकार। इस मामले पर मिताक्षरा के विचार स्पष्ट हैं। विजनेश्वर भी कहीं भी इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं कि महिलाएं सक्षम नहीं हैं।

विरासत में मिला। [पैरा 59,64,65] [301-ई-जी; 304-बी-डी]

लाल सिंह और अन्य। वी. रूर सिंह और Ors.55 पंजाब लॉ रिपोर्टर 168; गोपाल सिंह और अन्य। वी. उजागर सिंह और अन्य। आकाशवाणी 1954 एससी 579: [1955] 1 एस. सी. आर. 86; देवीदास और अन्य। वी. विठाबाई और अन्र (2008) 5 ML.LJ 296-संदर्भित

को।

एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी

4.1 विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति या सह-आंशिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से के उत्तराधिकारी होने का अधिकार

एक हिंदू निर्वसीयत पुरुष की मृत्यु को न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक कानूनों द्वारा भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

घोषणाएँ। यदि निर्वसीयत मरते हुए किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति है या सह-संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त की गई है, तो वह विरासत द्वारा हस्तांतरित हो जाएगी और

उत्तरजीविता द्वारा नहीं, और ऐसे पुरुष हिंदू की बेटी अन्य की तुलना में ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने की हकदार होगी।

जमानती। हाथ में मामले में, क्योंकि विचाराधीन संपत्ति

मरप्पा गौंडर की मृत्यु के बाद परिवार के संयुक्त होने की स्थिति में होने के बावजूद यह उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी।

निर्वसीयत, उनकी एकमात्र जीवित बेटी कुपयी अम्मल को विरासत में वही विरासत में मिलेगी और संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी। [पारस 66,67] [304-ई-एच]

4.2 पुरानी प्रथागत हिंदू कानून के तहत, ऐसी बेटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के क्रम का पालन करने के संबंध में विरोधाभासी राय हैं जो विरासत में मिलती है।

पिता की संपत्ति। एक स्कूल का मानना है कि ऐसी बेटी को विधवा की तरह सीमित संपत्ति विरासत में मिलती है, और उसकी मृत्यु के बाद मृत पुरुष के उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा जो उत्तरजीविता द्वारा विरासत का हकदार होगा। जबकि अन्य विद्यालय

विचार विपरीत दृष्टिकोण रखता है। राय का यह टकराव वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हो सकता है क्योंकि मरप्पा गौंडर की मृत्यु के बाद मुकदमा संपत्ति विरासत में मिलने के बाद मरप्पा गौंडर की बेटी कुपयी अम्मल की मृत्यु हो गई थी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का प्रवर्तन जिसने दोनों के बीच निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू कानून में संशोधन और संहिताबद्ध किया है।

और सीमित संपत्ति की सभी धारणाओं को पूरी तरह से समाप्त करते हुए महिलाओं के अधिकारों को पूर्ण घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम ने हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार के कानून में बदलाव लाए और ऐसे अधिकार दिए जो तब तक महिलाओं की संपत्ति के संबंध में अज्ञात थे। यह अधिनियम विरासत की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ, द्वारा शासित व्यक्तियों पर लागू होता है मिताक्षर और दयाभाग स्कूलों और उन लोगों के लिए भी जो पहले मुरुमकट्टयम, अलियासंतन और नम्बूदरी [2022] 1 एस. सी. आर. द्वारा शासित थे।

4.3 धारा 14 (1) ने महिलाओं के स्वामित्व वाली सभी सीमित संपदाओं को पूर्ण संपदाओं में परिवर्तित कर दिया और इनके उत्तराधिकार वसीयत या वसीयतनामे के अभाव में संपत्तियां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुरूप होंगी। धारा 15 की उप-धारा (1) की योजना यह दर्शाती है कि निर्वसीयत रूप से मरने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति उनके अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जानी है, जिसकी सूची धारा 15 (1) के खंड (ए) से (ई) में दी गई है। धारा 15 की उप-धारा (2) का उल्लेख किया गया है।

केवल विरासत के माध्यम से अर्जित संपत्ति के संबंध में अपवाद और इसके अलावा, अपवाद संपत्ति तक ही सीमित है एक हिंदू महिला को या तो अपने पिता या माँ से, या अपने पति से, या अपने ससुर से विरासत में मिला। उप-धारा (2) द्वारा बनाए गए अपवाद केवल उस स्थिति में लागू होंगे जब हिंदू महिला की मृत्यु हो जाती है, बिना किसी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी को छोड़े, यानी, उसका बेटा या बेटी या पूर्व-मृत बेटे या बेटी के बच्चे। इस प्रकार, यदि किसी हिंदू महिला की बिना कोई संतान छोड़े निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति

उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाएगी जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों को जाएगी। यदि किसी हिंदू महिला की अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति को छोड़कर मृत्यु हो जाती है, तो धारा 15 (1) (ए) लागू हो जाती है और उसके पीछे छोड़ी गई संपत्तियों में वे संपत्तियां भी शामिल हैं जो वह छोड़ जाती है।

अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, उसके माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति और उसके मुद्दों पर एक साथ हस्तांतरित होगी। [पारस 70,71,72] [306-डी; 307-जी-एच; 308-ए-सी] एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत)।

वी. पोन्नुसामी

4.4 धारा 15 (2) को लागू करने में विधायिका का मूल उद्देश्य

उसकी मृत्यु के तुरंत बाद। वर्तमान मामले में कुपयी अम्मल की मृत्यु के बाद 1967 में खोली गई वाद संपत्तियों के उत्तराधिकार के बाद से, 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस प्रकार रामासामी गौंडर की बेटियां जो अपने पिता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं, वे भी उत्तराधिकारी होंगी और वाद संपत्तियों में प्रत्येक पांचवें हिस्से की हकदार होंगी। उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्ताव को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, 1967 में कुपयी अम्मल की मृत्यु के बाद खोली गई वाद संपत्तियों के उत्तराधिकार के बाद से, 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस प्रकार रामासामी गौंडर की बेटी अपने पिता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण भी उत्तराधिकारी होगी और प्रत्येक वाद संपत्ति में पांचवें हिस्से का हकदार होगी। [पारस 73,74,77] [308-सी-एफ;

310 - बी-सी]

पंजाब राज्य बनाम। बलवंत सिंह और अन्य। 1992 सप.

(3) एससीसी 108: [1991] 1 पूरक। एस. सी. आर. 458; भगत राम

(मृत) एलआर द्वारा। वी. तेजा सिंह (मृत) द्वारा LRs.16 (2002) 1 एस. सी. सी. 210 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1955] 1 एससीआर 86

संदर्भित किया गया है

पैरा

61

[1991] 1 पूरक। एससीआर 458

उस पर भरोसा करें

पैरा

75

(2002) 1 एस. सी. सी 210

उस पर भरोसा करें

पैरा

76

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6659

2011 .

उच्च न्यायालय के 21.01.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1994 के ए. एस. No.351 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, वाई. लोकेश, सुश्री वी. कीर्तना, अनुभव चतुर्वेदी, पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

1. मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21.01.2009 के फैसले और आदेश को इस दीवानी अपील में चुनौती दी गई है।

(इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के तहत दायर 1994 की ए. एस. संख्या 351 होने वाली एक नियमित पहली अपील को खारिज करते हुए, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर विभाजन के लिए 1991 का मूल मुकदमा संख्या 295 खारिज कर दिया गया था, जिसमें मुकदमे की संपत्तियों में पांचवें हिस्से का दावा किया गया था।

2. पक्षों की निम्नलिखित वंशावली को लेना आवश्यक है।

गुरुनाथ गौंडर

मारप्पा गौंडर (पुत्र)

रामासामी गौंडर (पुत्र)

(11.05.1949 पर मृत्यु हो गई)

(अपने भाई से पहले

मारप्पा गौंडर)

कुपेयी अम्मल (बेटी) (1967 में बिना किसी विवाद के मृत्यु हो गई)

गुरुन्था गौंडर थंगम्मल रामैयाम्मल

एलायाम्मल

नल्लाम्मल

(बेटी)

(बेटा)

(मृत बेटी)

(बेटी)

(बेटी)

(प्रतिवादी

(में वादी

(प्रतिवादी नं.

मृतक होने के बाद से सूट)

5 सूट में)

नंबर 6 इंच
सूट)

1. पोन्नुस्वामी

अरुणाचल गौंडर

2. जी. थंगम्मल

(मृत, एल. आर. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया)

3. पापाई

1. वेंकटचलम

4. कन्नम्मल

2. ए. मोट्टैयप्पन

(प्रतिवादी 1 से 4) (चूंकि मृतक प्रतिनिधित्व करता है

अपीलार्थी 1 और 2 द्वारा)

1. समथुवम

2. कन्नयन

(मुक़दमे में प्रतिवादी 8 और 9)

एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

उनके दावों और तर्कों की सराहना करने के लिए टिप्पणीः 3. विभाजन के लिए मुकदमा रामासामी गौंडर की बेटी थंगम्मल द्वारा दायर किया गया था, जिसमें वादी और प्रतिवादी के आरोपों पर मुकदमे की संपत्ति में पांचवें हिस्से का दावा किया गया था। 5 और 6, अर्थात्, एलायम्मल और नल्लम्मल और एक रामायम्मल गुरुनाथ की बहनें हैं।

गौंडर, वे सभी पाँच रामासामी गौंडर की संतान हैं। उक्त रामासामी गौंडर का एक बड़ा भाई था जिसका नाम मारप्पा गौंडर था। रामासामी गौंडर, अपने भाई मारप्पा गौंडर से पहले मर गए थे, जिनकी मृत्यु 14.04.1957 पर हुई थी और वे अपने पीछे कुप्पयी अम्मल नाम की एकमात्र बेटी को छोड़ गए थे, जिनकी भी मृत्यु हो गई थी। 1967. वादी/अपीलार्थी द्वारा स्थापित आगे का मामला यह था कि मरप्पा गौंडर की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति कुप्पायी अम्मल को विरासत में मिली थी और 1967 में उनकी मृत्यु के बाद, रामासामी गौंडर के सभी पांच बच्चे, अर्थात्, गुरुनाथ गौंडर, थंगम्मल (मूल वादी जिसका प्रतिनिधित्व अब कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है), रामायीम्मल, इलायम्मल और नल्लम्मल कुप्पायी के बराबर उत्तराधिकारी हैं और प्रत्येक पांचवें हिस्से के हकदार हैं।

अभियुक्तों को 7 से 9 तक पीछे छोड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वादी-अपीलार्थी, थंगम्मल की मृत्यु हो गई, अपीलकर्ता नं। 1 , 3 और इसमें 4 और अपीलार्थी सं। 1 , अरुणाचल गौंडर, चूंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, अपीलार्थी नं। 1 , वेंकटचलम और अपीलकर्ता नं. 2 , ए. मोट्टैयप्पन।

5. प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों द्वारा स्थापित बचाव पक्ष यह था कि मरप्पा गौंडर की मृत्यु 11.05.1949 पर हुई, न कि 14.04.1957 पर, जैसा कि वादी-अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया था और 1956 से पहले प्रचलित हिंदू कानून के प्रावधानों के अनुसार, गुरुनाथ गौंडर मरप्पा गौंडर के एकमात्र उत्तराधिकारी थे और तदनुसार, उन्हें मुकदमे की संपत्तियां विरासत में मिलीं और इन संपत्तियों के कब्जे और आनंद में थे और उनकी मृत्यु के बाद भी प्रतिवादी वैध मालिकों के रूप में बने रहे। 6. यह पक्षों के बीच एक निर्विवाद तथ्य है कि विचाराधीन संपत्ति यानी सूट संपत्ति, मरप्पा द्वारा स्वतंत्र रूप से खरीदी गई थी।

गौंडर ने वर्ष 1938 में एक अदालती नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से यह उनकी स्वतंत्र संपत्ति थी। हालाँकि, मरप्पा गौंडर की मृत्यु की तारीख के संबंध में पक्षों के बीच एक मुद्दा था।

2] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वादी-अपीलार्थी ने मृत्यु की तारीख को 14.04.1957 बताया, जबकि प्रतिवादी-प्रतिवादी ने मृत्यु की तारीख को 15.04.1949 बताया।

7. पक्षकारों द्वारा मामले के अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मरप्पा गौंडर की मृत्यु हो गई थी।

15.04.1949 और इस प्रकार, वाद संपत्ति मृतक रामासामी गौंडर के एकमात्र पुत्र, मरप्पा गौंडर के मृत भाई को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित कर दी जाएगी और वादी-अपीलार्थी को विभाजन के लिए वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं था और तदनुसार, वाद को खारिज कर दिया।

8. विशेष रूप से विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष

1949 में मरप्पा गौंडर की मृत्यु की तारीख की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा पहली अपील में की गई थी और विभाजन के मुकदमे को खारिज करने वाले आदेश की पुष्टि की गई थी जिसमें कहा गया था कि संपत्ति प्रतिवादी को उत्तरजीविता के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

9. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री पी. वी. योगेश्वरन और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री के. के. मणि को सुना है।

अपीलार्थियों के व्यवहार पर तर्क

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री पी. वी. योगेश्वरन प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि संपत्ति अदालत की नीलामी बिक्री के माध्यम से खरीदी गई थी मरप्पा गौंडर 15.12.1938 पर, इसलिए, यह उनकी स्वतंत्र संपत्ति है और इसे कभी भी एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता था, जैसे कि मरप्पा गौंडर की मृत्यु पर, यह संपत्ति उनकी बेटी, कुपयी अम्मल को उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित की जाएगी, जिनकी मृत्यु वर्ष 1967 में हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि मिताक्षर के कानून के तहत, विरासत का अधिकार प्रवृत्ति यानी रिश्ते की निकटता पर निर्भर करता है। चूंकि बेटी के रिश्ते की निकटता होती है, इसलिए उसे पिता के भाई के बेटे और बेटी के बजाय पिता से संपत्ति विरासत में मिलेगी।

11. वह आगे बताते हैं कि उत्तराधिकारियों के तीन वर्ग हैं

मिताक्षरा द्वारा मान्यता प्राप्त, अर्थात्, (ए) गोत्रजसपिंदस, (बी) समनोदक और (सी) बंधु। पहला वर्ग दूसरे से पहले सफल होता है और दूसरा तीसरे से पहले सफल होता है। इन दलीलों का समर्थन करने के लिए उन्होंने मुल्ला हिंदू कानून के 23 वें संस्करण का संदर्भ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू कानून के तहत, एक बेटी को अपने पिता की अलग संपत्ति में उत्तराधिकार पाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता है और जब एक पुरुष हिंदू बिना बेटे के मर जाता है तो वह केवल एक बेटे को छोड़ जाता है।

बेटी, उसकी अलग संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से बेटी को हस्तांतरित कर दी जाएगी और संपत्ति भाई के बेटे को उत्तरजीविता के माध्यम से हस्तांतरित नहीं की जाएगी और नीचे दिए गए न्यायालयों ने एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत) के सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है।

वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

हिंदू कानून का उल्लंघन किया और मुकदमा खारिज कर दिया। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने विभिन्न टिप्पणियों से उद्धृत संदर्भ जिन पर हम उचित स्थान पर चर्चा करेंगे।

उत्तरदाताओं के व्यवहार पर तर्क

12. उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री के. के. मणि ने कहा कि विचाराधीन संपत्ति मरप्पा द्वारा खरीदी गई थी

अदालत की नीलामी में गौंडर पारिवारिक धन से बिक्री करता था और इस प्रकार, यह एक संयुक्त संपत्ति थी, और उसकी मृत्यु पर, क्योंकि उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, प्रतिवादी एक सह-भागीदार के रूप में संपत्ति में सफल हुआ। उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालत ने पक्षों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों की जांच करने के बाद

मारप्पा गौंडर की मृत्यु के समय एकमात्र उपलब्ध उत्तराधिकारी रामासामी गौंडर के पुत्र गुरनाथ गौंडर थे, जो कोई और नहीं बल्कि प्रतिवादी 1 से 4 के पिता थे। एक बार मरप्पा की संपत्तियाँ गौंडर को गुरनाथ गौंडर को सौंप दिया गया, यह उनकी संपत्ति बन गई और इसलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की घोषणा के बाद इसे विभाजन का विषय नहीं बनाया जा सका। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि न तो कोई मुद्दा तैयार किया गया था और न ही वादी अपीलार्थी द्वारा पूरी कार्यवाही के दौरान यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश किया गया था कि वर्ष 1938 में अदालत की नीलामी में खरीदी गई संपत्ति मरप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति थी और इस प्रकार, यह माना जाएगा कि यह एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी जिसमें उनकी बेटी को विरासत में कोई अधिकार नहीं था।

एक ही। 13. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है

मामला और हिंदू कानून से संबंधित विभिन्न ग्रंथ और टिप्पणियां।

14. जहाँ तक, मारप्पा गौंडर की मृत्यु की तारीख 15.04.1949 होने की बात है, यह दो तथ्यों द्वारा पुष्टि किए गए तथ्य का निष्कर्ष है-न्यायालयों [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि क्या मुकदमे की संपत्ति विशेष रूप से मरप्पा गौंडर द्वारा अदालत की नीलामी में खरीदी गई थी। और यह उनकी अलग संपत्ति थी या इसे संयुक्त परिवार निधि से खरीदा गया था जिससे यह एक संयुक्त परिवार की संपत्ति बन गई थी। यह सही है कि न तो इस संबंध में निचली अदालत द्वारा कोई मुद्दा तैयार किया गया था और न ही पक्षों द्वारा कोई सबूत दिया गया था और न ही कोई निष्कर्ष वापस किया गया था। हालांकि, इस दृष्टि से कि

प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन के पैरा 3 में यह स्वीकार किया गया कि वाद संपत्तियाँ मारप्पा गौंडर की पूर्ण संपत्तियाँ हैं, उन्होंने इसे 19.09.1938 पर अदालत की नीलामी बिक्री में खरीदा था, इस संबंध में किसी भी मुद्दे को तैयार करने की शायद ही कोई आवश्यकता थी, एक बार जब तथ्य था लिखित बयान में स्वीकार किया गया।

16. लिखित कथन के पैराग्राफ 3 के प्रासंगिक भाग को निकालना प्रासंगिक हो सकता है जो नीचे दिया गया हैः

" 3. यह सच है कि सूट की संपत्तियां मारप्पा गौंडर की पूर्ण संपत्तियां हैं, जिसने सूट खरीदा था।

19.09.1938 पर न्यायालय नीलामी बिक्री में संपत्तियाँ।

17. इसके अलावा, प्रतिवादियों ने खुद कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि मारप्पा गौंडर ने सूट संपत्ति की खरीद की थी।

संयुक्त परिवार निधि। लिखित बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि विचाराधीन संपत्ति मारप्पा गौंडर की पूर्ण संपत्ति थी, जिसे उन्होंने अदालत की नीलामी बिक्री में खरीदा था।

17.1 उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का कोई बल नहीं है और वे स्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

18. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए जो प्राथमिक मुद्दा उत्पन्न होता है, वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले विरासत में प्राप्त अधिकार रखने वाले किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए एकमात्र बेटी के अधिकार के संबंध में है या दूसरे शब्दों में, क्या ऐसी वाद संपत्ति विरासत से निर्वसीयत पिता की मृत्यु पर बेटी को हस्तांतरित कर दी जाएगी या उत्तरजीविता द्वारा पिता के भाई के बेटे को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

19. इस मुद्दे का निर्धारण और निर्णय एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत) पर निर्भर करता है।

वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरः

1)

संपत्ति की प्रकृति क्या है और क्या होगी? उत्तराधिकार का क्रम यदि इसके विपरीत यह एक अलग संपत्ति है

अविभाजित संपत्ति?

क्या एकमात्र बेटी को अपने पिता से अलग विरासत मिल सकती है

2)

संपत्ति निर्वसीयत मर रही है? और अगर ऐसा है तो

की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का क्रम क्या होगा?

3)

ऐसी बेटी?

20. इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, हमें पुराने हिंदू कानून की अवधारणाओं और उसके अनुप्रयोग में गहराई से जाना होगा। यह भी जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति और स्रोतों को देखें।

हिंदू कानून के स्रोत

21. हिंदू कानून की सटीक उत्पत्ति पुरातनता में निहित है, हालांकि, हिंदुओं का मानना है कि उनके कानून प्राचीन काल में संरक्षित रहस्योद्घाटनों में मौजूद हैं। ' श्रुति (जिसे याद किया जाता है) के विपरीत वेद, श्रुति (जिसे सुना और प्रकट किया जाता है) और स्मृति। स्मृतियों में फोरेंसिक कानून या धर्म शास्त्र शामिल हैं और माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा के शब्दों में दर्ज हैं। धर्म शास्त्र या फोरेंसिक कानून मुख्य रूप से उन संस्थानों या संग्रहों में पाया जाता है जिन्हें 'संहिता', स्मृति के रूप में जाना जाता है या दूसरे शब्दों में, विद्वान विद्वान ऋषियों जैसे कि मनु, यज्ञवलच्य, विष्णु, पराशर और गौतम आदि की पाठ्य पुस्तकें। उनके लेखन को हिंदू प्रामाणिक कार्य मानते हैं। इन टिप्पणियों पर डाइजेस्ट और एनोटेशन लिखे गए हैं। इन प्राचीन स्रोतों ने इस प्रकार हिंदू कानून के विकास को रेखांकित किया है। इन स्रोतों ने वर्षों से लगातार विकास किया, कानून की पूरी प्रणाली को अपनाया, और निर्णायक अधिकारियों के रूप में माने जाते हैं। इन स्रोतों के अलावा रीति-रिवाज, समानता, न्याय, सद्भावना और न्यायिक निर्णयों ने भी हिंदू कानून के विकास को बढ़ावा दिया है।

22. विभिन्न विद्वान विद्वानों की टिप्पणियों ने हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों को जन्म दिया है-जैसे बंगाल में दया भाग। बम्बई, कोंकण और गुजरात में मयूखा और केरल में मरुमक्कट्टयम या नम्बूदरी और भारत के अन्य हिस्सों में मिताक्षरा। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों में से एक है जिसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह मौलिक सिद्धांतों के समान होने के साथ मामूली भिन्नताओं के साथ भारत के अधिकांश हिस्सों पर लागू होता है। इन मामूली भिन्नताओं ने विभिन्न उप-विद्यालयों का गठन किया, जैसे बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र/बॉम्बे स्कूल, द्रविड़/मद्रास स्कूल।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. मिताक्षर को बनारस के स्कूल में अग्रणी प्राधिकरण माना जाता है। बंगाल के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान श्री कोलब्रुक लिखते हैं, "इसके अधिकार और प्रभाव की सीमा जिनोट वाहन ग्रंथ की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि यह बनारस से लेकर भारत के प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक हिंदू कानून के अन्य सभी स्कूलों में प्राप्त होता है, जो उन सिद्धांतों के मुख्य आधार के रूप में हैं जिनका वे पालन करते हैं, और एक ऐसे अधिकार के रूप में जिससे वे शायद ही कभी असहमत होते हैं। मिताक्षरा है बंगाल के एकमात्र अपवाद के साथ, जिसे ज्यादातर दया भाग के नाम से जाना जाता है, हमेशा कानून के सभी स्कूलों के लिए मुख्य प्राधिकरण के रूप में माना जाता है।

24. पृष्ठ 165 पर एक अन्य अवलोकन का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जहाँ इसे निम्नानुसार कहा गया हैः

" इसलिए, असफल पुरुष होने पर, एक विधवा अपने पति की स्व-अर्जित संपत्ति ले लेती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरुष मुद्दे की विफलता पर

और एक विधवा, बेटी ले जाएगी।

25. टिप्पणी में प्राणजीवंदास तुलसीदास बनाम देव कुवरबाई, 1 बम के एक मामले का भी उल्लेख किया गया है। एच. सी., बी. 131, जिसमें एक अलग संपत्ति के मालिक हिंदू की बिना किसी पुरुष मुद्दे के मृत्यु हो गई, अपने पीछे छोड़ गया-ए

विधवा, चार बेटी और एक भाई और अन्य मृत भाइयों के पुरुष बच्चे। अदालत ने कहा कि विधवा संपत्ति में जीवन संपदा की हकदार है और उसके हित के अधीन संपत्ति भाइयों और मृत भाइयों के मुद्दे पर बेटियों को हस्तांतरित की जाएगी।

26. इस मामले के कई संदर्भ भी दिए गए हैं।

रिपोर्ट किए गए और साथ ही गैर-रिपोर्ट किए गए मामले; जैसा कि तुलजाराम मोरारजी बनाम मथुरादास, भगवानदास और प्राणजीवंदास 2 के मामले में देखा गया था कि

..... उस मामले में निर्णय और प्राणजीवंदास बनाम देवकुवरबाई मामले में निर्णय का उच्च न्यायालय द्वारा कई गैर-रिपोर्ट किए गए मामलों में और कानूनी पेशे द्वारा लगातार पालन किया गया है। उन निर्णयों से अब कोई भी विचलन इस प्रेसीडेंसी में बहुत भ्रम और अन्याय का कारण बनेगा, और नहीं।

लाभ जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए।

1 1868 में गैंट्ज़ ब्रदर माउंट रोड, मद्रास द्वारा प्रकाशित स्टैंडिश ग्रोव ग्रैडी द्वारा हिंदू कानून पर एक ग्रंथ।

2 आई. एल. आर. (1881) 5 बम 662

3 1874 एल. आर. एस. द्वारा एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 10 अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

वे सिद्धांत जो वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं।

27. छोटे लाल बनाम चुन्नू लाल और अन्य 3 के मामले में न्यायालय ने कहाः

" इस मुद्दे पर निम्नलिखित प्रत्यक्ष अधिकारी हैं। 1859 में सर एम. सौसे, प्राणजीवंदास तुलसीदास बनाम। देवकुवरबाई (2) ने माना कि एक बेटी विरासत में मिलने पर पूरी तरह से लेती है।

उसके पिता। भास्कर त्र्यंबक में

(3)

आचार्य बनाम. महादेव रामजी, सर जोसेफ अर्नोल्ड द्वारा जनवरी 1869 में तय की गई, मुख्य टिप्पणी में कहा गया है कि एक विवाहित महिला द्वारा विरासत में प्राप्त सभी संपत्ति (अपने पति को छोड़कर) स्त्रीधन के रूप में वर्गीकृत की जाती है, और तदनुसार उतरती है। लेकिन यह मामला विशेष रूप से प्राणजीवंदास तुलसीदास के मामले पर आधारित है।

वी. देवकुवरबाई।

29. मिताक्षरा के उप-विद्यालयों में से एक-मद्रास विधि विद्यालय भारत के अधिकांश दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यह इसका अभ्यास करता है मिताक्षरा लॉ स्कूल के तहत प्राधिकरण। मिताक्षरा स्कूल मुख्य रूप से स्मृति की चल रही टिप्पणियों से निकला है जो उनके द्वारा लिखी गई हैं।

' याज्ञवल्क्य '। मिताक्षरा स्कूल को नियंत्रित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्रोत 'व्यवस्त चंद्रिका' और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति चंद्रिका हैं। 30. 'याज्ञवल्क्य' के डाइजेस्ट में कहा गया है कि "जो किसी ने स्वयं अर्जित किया है, उसे वृद्धि के रूप में, कम किए बिना।

पैतृक संपत्ति, इसी तरह किसी मित्र की ओर से उपहार या विवाह का उपहार, सह-उत्तराधिकारियों की नहीं होती है।

31. यह टिप्पणियों को संदर्भित करने के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है और

श्यामा चरण सरकार विद्या भूषण द्वारा एक पाचन के रूप में हिंदू कानून के सिद्धांतों और तत्वों से एनोटेशन, जिसे 'व्यवस्थ चंद्रिका' के रूप में जाना जाता है, हिंदू कानून का एक पाचन है। उक्त डाइजेस्ट की धारा II बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकार से संबंधित है।

4 व्यवस्ता-चंद्रिका, श्यामा चरण सरकार द्वारा ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, विद्या भूषण 1878 में I.C.Bose & Co., STANHOPE PRESS 249, बो-बाजार, कलकत्ता द्वारा मुद्रित।

32. टिप्पणी की धारा II के खंड 118 में, यह कहा गया है

: " विधवा की अवहेलना में, बेटियाँ उस व्यक्ति की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती हैं जो अलग हो कर मर गया (उसके सह-भागीदारों से) और नहीं

(उनके साथ) फिर से एकजुट। '

33. इसमें 'विष्णु' और 'वृषपति' को भी नीचे उद्धृत किया गया है:

" विष्णुः एक आदमी की संपत्ति जो कोई पुरुष मुद्दा नहीं छोड़ती है

अपनी पत्नी को; उसकी विफलता पर, उसकी बेटी को।

बृहस्पतिः पत्नी को अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है; उसकी चूक में, बेटी। एक बेटे के रूप में, एक आदमी की बेटी भी उसके कई अंगों से आगे बढ़ती है। फिर किसी अन्य व्यक्ति (ख) को अपने पिता की संपत्ति कैसे लेनी चाहिए?

(ख) कोई अन्य व्यक्ति-इन शब्दों में पुत्र और विधवा (जो बेहतर उत्तराधिकारी हैं) शामिल नहीं हैं, और इसमें पिता और बाकी शामिल हैं। - स्मृति चंद्रिका, अध्याय-XI, धारा (ii), खंड 5

और 6.

" इसका अर्थ यह है कि बेटी के जीवित रहने के दौरान पिता और बाकी लोग बेटे की संपत्ति कैसे ले सकते हैं।

34. इसमें 'मनु' को भी नीचे उद्धृत किया गया है:

" मनु-मनुष्य का पुत्र स्वयं के समान है, और बेटी पुत्र के बराबर है। फिर कैसे कोई और अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है, उसके जीवित रहने के बावजूद, जो स्वयं है।

35. 'व्यवस्थ चंद्रिका' का खंड 120 इस प्रकार है:

" 120 : - एक बेटी अपने पिता की विभाजित संपत्ति की विरासत पाने की हकदार होने के कारण, यह तर्क की समानता से निर्धारित किया गया है कि वह ऐसी संपत्ति की विरासत पाने की भी हकदार है।

जैसा कि उसके द्वारा अलग से अर्जित या धारित किया गया था, या निहित किया गया था

उसे "।

36. 'बृहस्पती' के पाठ का तात्पर्य यह है कि भाई या उनके जैसे लोग उस व्यक्ति की संपत्ति नहीं लेंगे जिसकी मृत्यु बिना पुरुष के हुई थी, जब बेटी जीवित थी। एक ही पिता से उत्पन्न होकर, स्मृति चंद्रिका में एक बेटी को माना गया है

यह एक बेटा है।

37. ' नारद 'एल. आर. एस. द्वारा प्रस्तावित रुनाचल गौंडर (मृत) की समानता से अवगत है।

वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

टी वह बेटी है जिसे बेटे और मूर्ख की विफलता पर सफल होना चाहिए, कहती है, "पुरुष मुद्दे की विफलता पर, बेटी विरासत में मिलती है, क्योंकि वह निश्चित रूप से दौड़ को बनाए रखने का कारण है।"

38. स्टैंडिश ग्रोव ग्रैडी ने हिंदू कानून पर अपनी पुस्तक 'ट्रीटीज' में

विरासत 1868 में अध्याय IX में प्रकाशित हुई -

उतरने की रेखा पर चर्चा करते हुए 'सत्र' ने निम्नलिखित रूप में देखा हैः

" वंश की रेखा-यह इस अध्याय के दौरान देखी जाएगी।

कि विरासत का हिंदू कानून समझता है

बाद वाले को उन लोगों द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने पसंद किया है पिता के लिए माँ। उत्तराधिकार तब उनके संबंधित मुद्दे की ओर जाता है, जिसमें बेटी के बेटे भी शामिल हैं, लेकिन बेटियां नहीं, आधे खून के बजाय पूरे को प्राथमिकता दी जाती है; फिर

अधिक दूरस्थ संबंध का अनुसरण करें जो हम वर्तमान में करेंगे

गिनती करें।

जैसे-जैसे दावेदार दूर होता जाता है, विवरण वर्तमान में बताए गए विभिन्न स्कूलों और लेखकों के अनुसार भिन्न होते हैं। प्राकृतिक प्रकार की चूक में, सभी वर्गों में उत्तराधिकारियों की श्रृंखला,

ब्राह्मणों को छोड़कर, गुरु के साथ समाप्त होता है

मृतक, उसका शिष्य, उसका पुजारी, जिसे बलिदान करने के लिए काम पर रखा गया था, या उसका साथी-छात्र, प्रत्येक अपने क्रम में और इन सभी को गिराते हुए,

क्षत्रिय, वश्य और सूद्र के वैध उत्तराधिकारी, जो हैं

यदि कोई संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा किसी ब्राह्मण में निहित होनी चाहिए-क्योंकि वह निम्न जाति में से किसी एक के लिए उत्तराधिकार नहीं कर सकता है, तो कर्तव्य का निर्वहन निम्न जाति के प्रतिस्थापन द्वारा किया जा सकता है। योग्य व्यक्ति, वर्ग में मृतक के बराबर। उन सभी मामलों में जहां उत्तराधिकारी विकलांग है, उसे अपनी सेवाओं के लिए नियोजित व्यक्ति को भुगतान करते हुए एक ही मार्ग अपनाना चाहिए। राजा को भी, जहाँ वह चोरी करके ले जाता है, उसे [2022] 1 एस. सी. आर. को दंड देना चाहिए।

मृतक के लिए प्रदर्शन किया जाए।

हिंदू अज्ञेय उत्तराधिकार को वरीयता देते हैं,

महिलाओं के उत्तराधिकार को अपवाद माना जा रहा है।

महिलाएँ अपने लिंग के कारण संस्कार नहीं कर सकती हैं।

इसलिए वे कोई लाभ प्रदान नहीं करते हैं और आम तौर पर उत्तराधिकार से अयोग्य घोषित। इस नियम से, केवल

विशेष कारणों से चार अपवाद, अर्थात् विधवा,

बेटी, माँ और दादी। इसके अनुसार बनारस और मिथिला विद्यालय, ऊपर उल्लिखित महिलाएँ

परिवार विभाजित होने पर ही विरासत में मिलता है। एक अविभाजित परिवार में,

महिलाओं को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके दो तरीके हैं -

(1) एकल अलग मालिक से ((ii) एक महिला से।

संयुक्त मालिक की संपत्ति को हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है।

शेष पर, वे जन्म से संयुक्त मालिक हैं। में

संपार्श्विक भागीदारों के अधिकार। लेकिन अविभाजित परिवारों में भी, एक विधवा स्वयं अर्जित धन को ले लेती है।

पति की संपत्ति।

उसी अध्याय में स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में,

ग्रैडी कहता हैः

" यह सुरक्षित रूप से एक सही प्रस्ताव के रूप में कहा जा सकता है कि संपत्ति,

जो अनसीटेरल नहीं है, स्व-अर्जित है, किसी भी तरह से

संपत्ति प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह उपहार से हो या खरीद से।

या श्रम, मानसिक या शारीरिक, या अन्यथा।

कटमा नच्चियार बनाम के निर्णय का उल्लेख करते हुए। के राजा शिवगंगा (जिस पर हम बाद के भाग में विचार करेंगे)

फैसला), वह देखता है जब एक ज़मीनदारी को अलग कर दिया गया था

अंतिम जमींदार की मृत्यु पर, सरकार ने इसे एक

उसके एक दूर के रिश्ते के लिए नया। इसे स्व-अर्जित माना जाता था।

संपत्ति। उस मामले ने फैसला किया है कि सभी स्व-अर्जित संपत्ति

एक विभाजित की पारिवारिक संपत्ति के रूप में उसी तरह से विभाजित करता है

सदस्य। असफल पुरुष मुद्दा, इसलिए, एक विधवा स्वयं लेती है अपने पति की संपत्ति अर्जित की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विफलता

एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत) में प्रकाशित 'याज्ञवल्क्य' का शास्त्र-धर्म से कानून और न्यायपालिका।

पुरुष मुद्दा और एक विधवा, बेटी ले जाएगी "।

39. प्रसिद्ध लेखक एडवर्ड रोर, पी. एच. डी., एम. डी. और डब्ल्यू. ए. मॉन्ट्रिओ द्वारा याज्ञवल्क्य 3 के धर्मशास्त्र से 'हिंदू कानून और न्यायपालिका' शीर्षक वाली टिप्पणी में खंड 135 में कहा गया हैः

" 135. यदि कोई पुरुष पुरुष के बिना इस जीवन को छोड़ देता है; (i) उसकी पत्नी, (ii) उसकी बेटी, (iii) उसके माता-पिता, (iv) उसके भाई, (v) उसके भाइयों के बेटे, (vi) उसी गोत्र के अन्य, (vii) अधिक दूरस्थ संबंध, (viii) एक छात्र, (ix) एक साथी-छात्र-ये उत्तराधिकार में सफल होते हैं, प्रत्येक वर्ग एक की विफलता पर।

इससे पहले। यह नियम सभी जातियों पर लागू होता है।

40. एच. एस. कनिंघम द्वारा व्यवस्थित और व्याख्या की गई एक अन्य पुस्तक "मद्रास प्रेसीडेंसी के न्यायालयों में प्रशासित हिंदू कानून" में, मद्रास के तत्कालीन महाधिवक्ता, यह अध्याय VI के खंड 203 में कहा गया है, जो बेटियों द्वारा विरासत से संबंधित हैः

" खंड-203: - बेटों, पोतों, महान पोतों की चूक में,

और विधवाओं, बेटी में एक जीवन संपत्ति के लिए सफल होता है

पिता की संपत्ति।

41. उक्त टिप्पणी के खंड 206 में कहा गया है कि 'एक विवाहित बेटियाँ और बेटियाँ जो विधवा हैं, वे अप्रत्याशित रूप से सफल होती हैं।

उनके बंजर होने या कोई पुरुष समस्या न होने का तथ्य और इसी तरह, खंड 207 निम्नानुसार हैः

" खंड-207: - प्रत्येक वर्ग की बेटियाँ अपनी संपत्ति संयुक्त रूप से रखती हैं; मरने वाली किसी भी बेटी का हिस्सा उसी वर्ग की जीवित बेटी या बेटियों में निहित होता है, और

अगली कक्षा की बेटियाँ केवल तभी जब सभी बेटियाँ

पिछली कक्षा समाप्त हो गई है। प्रत्येक वर्ग में, एक बेटी जिसे विवाह पर संपन्न नहीं किया गया है, उस बेटी को वरीयता देने में सफल होती है जिसे संपन्न किया गया है।

42. उक्त टिप्पणी में खंड 209 निम्नानुसार हैः

“ खंड 209: - बेटी अपनी मृत्यु पर सफल होती है

पिता की विधवा, इसके बावजूद कि ऐसी विधवा उसकी नहीं है

माँ। '

6 ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ-जैसा कि मद्रास प्रेसीडेंसी के न्यायालयों में प्रशासित है, जिसे 1877 में हिगिनबोथम एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था।

43. ' 'मुल्ला' ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ (22 वां संस्करण) में चर्चा करते हुए कहा,

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले के कानून में कहा गया है कि भारत में हिंदुओं के बीच विरासत की दो प्रणालियाँ हैं, अर्थात् मिताक्षर प्रणाली और दयाभाग प्रणाली। बंगाल में दयाभाग प्रणाली प्रचलित है, जबकि मिताक्षर प्रणाली भारत के अन्य हिस्सों में लागू होती है। दोनों प्रणालियों के बीच अंतर इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दयाभाग स्कूल के तहत धार्मिक प्रभावकारिता का सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत है, लेकिन मिताक्षर स्कूल के तहत ऐसा कोई निश्चित मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। कभी-कभी समानुभूति, और कभी-कभी, धार्मिक प्रभावकारिता को मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया है। 'मुल्ला' के अनुसार, मिताक्षर संपत्ति के हस्तांतरण के दो तरीकों को पहचानता है, अर्थात् उत्तरजीविता और उत्तराधिकार। उत्तरजीविता के नियम संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पर लागू होते हैं, और उत्तराधिकार के नियम अंतिम मालिक द्वारा पूर्ण स्वामित्व में रखी गई संपत्ति पर लागू होते हैं।

44. मिताक्षर कानून के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में धारा 34 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक हो सकता है।

जो मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक हिंदू पुरुष की संपत्ति उसकी मृत्यु पर हस्तांतरित होती है, निम्नलिखित प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

(1)

जहाँ मृतक मृत्यु के समय एक सदस्य था संयुक्त और अविभाजित परिवार, जिसे तकनीकी रूप से सह-सदस्य कहा जाता है, का सह-सदस्य संपत्ति में उनका अविभाजित हित है।

उत्तरजीविता द्वारा उनके सह-भागीदारों पर।

(2) (i) भले ही मृतक अपनी मृत्यु के समय संयुक्त था, हो सकता है कि उसने स्व-अर्जित या अलग संपत्ति छोड़ी हो। ऐसी संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को जाती है।

धारा 43 में दिया गया आदेश, और उसके सह-भागीदारों को नहीं;

((ii) यदि मृतक अपनी मृत्यु के समय था, तो सह-आंशिक संपत्ति का एकमात्र जीवित सदस्य, सह-आंशिक संपत्ति सहित उसकी पूरी संपत्ति, धारा में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।

43 ;

(iii) यदि मृतक अपनी मृत्यु के समय अपने सह-भागीदारों से अलग था, तो उसकी पूरी संपत्ति, हालांकि अर्जित की गई थी, उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। धारा 43 में दिया गया आदेश;

(3)

यदि मृतक अपनी मृत्यु के समय फिर से एकजुट हो गया था, तो उसका

7 एल. आर. एस. द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।

धारा 60 में निर्धारित नियम।

45. मिताक्षर कानून के तहत 'मुल्ला' के अनुसार, विरासत का अधिकार प्रवृत्ति, यानी रिश्ते की निकटता से उत्पन्न होता है। मिताक्षर विभाजित

तीन वर्गों में रक्त संबंध, अर्थात् -

(अ)

या 1 से 7 वीं डिग्री तक के मृतक के रूप में परिवार; समनोदक, अर्थात, एक ही गोत्र से संबंधित व्यक्ति या

(ख)

8 वीं-14 वीं डिग्री से मृतक के रूप में परिवार; और

((ग)

भिन्ना गोत्र सपिंदास, अर्थात, सपिंदास एक अलग वर्ग से संबंधित हैं।

मृतक का गोत्र या परिवार।

46. ' गोत्र सपिंदास 'और' समनोदक 'वे व्यक्ति हैं जो मृतक से पुरुष वंशजों की एक अखंड रेखा यानी सभी अगंतों द्वारा जुड़े हुए हैं। और भिन्ना गोत्र सपिंद एक महिला के माध्यम से मृतक से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे कि एक बहन का बेटा। मिताक्षर में 'भिन्ना गोत्र' को 'बंधु' के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत इन वर्गीकरणों को अब पुरातन और वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग-III और वर्ग-IV के उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले खोली गई संपत्ति के उत्तराधिकार पर विचार करते हुए।

47. मिताक्षर के अनुसार, एक व्यक्ति के गोत्र सपिंडा

ये हैं:

पुरुष वंश में उनके छह पुरुष वंशज; अर्थात, उसका पुत्र, उसका पुत्र

((i)

बेटे का बेटा आदि।

((ख)

पुरुष पंक्ति में उनके छह पुरुष आरोही, की पत्नियाँ उनमें से पहले तीन, और शायद अगले तीन में से भी; यानी, उसके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, आदि, मेज में F1 से F6 और उनकी पत्नियां, यानी M1 से M6, माँ, पिता की माँ, पिता के पिता की माँ, आदि।

(iii)

प्रत्येक की संपार्श्विक पुरुष पंक्ति में छह पुरुष वंशज

उनके पुरुष आरोही; अर्थात। , F1 की पंक्ति में X6 तक, उसका भाई, भाई का बेटा, भाई का बेटा, आदि होने के नाते; F2 की पंक्ति में X6 तक, उसके पैतृक चाचा, पैतृक चाचा का बेटा, आदि होने के नाते; F3 की पंक्ति में X6 तक, उसके पैतृक दादा-चाचा, पैतृक दादा का बेटा, आदि होने के नाते। ; एफ 4 की पंक्ति में एक्स 6 तक; [2022] 1 एस. सी. आर. तक।

F5 'की रेखा में X6, और F6 की रेखा में x6।

((iv) उनकी पत्नी, बेटी और बेटी का बेटा।

48. सपिंडा संबंध मृतक से सात डिग्री और छह डिग्री तक फैला हुआ है, यदि आप मृतक को बाहर करते हैं। विवाह पर पत्नी पति की सपिंडा बन जाती है। बेटी का बेटा गोत्रज सपिंडा नहीं है, वह एक बंधु है क्योंकि वह एक महिला के माध्यम से मृतक से संबंधित है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए कि

उत्तराधिकार में, उन्हें गोत्रज सपिंदास के साथ स्थान दिया गया है।

49. हिंदू लॉ ऑफ इन्हेरिटेंस (अमेंडमेंट) एक्ट, 1929 सबसे पहला सांविधिक कानून था जिसने हिंदू महिलाओं को कानून के दायरे में लाया।

विरासत की योजना। 1929 के अधिनियम ने कुछ महिला वैधानिक उत्तराधिकारियों को पेश किया जिन्हें पहले से ही मद्रास स्कूल द्वारा मान्यता दी गई थी, यानी बेटे की बेटी, बेटी की बेटी, बहन और बहन के बेटे को इस प्रकार निर्दिष्ट क्रम में, विरासत से संबंधित पाठ्य हिंदू कानून में अंतर्निहित मौलिक अवधारणाओं में कोई संशोधन किए बिना; अंतर केवल इतना है कि अधिनियम से पहले, वे बंधुओं के रूप में सफल हुए, अधिनियम के तहत, उन्हें 'गोत्र सपिंडा' के रूप में विरासत में मिला।

50. मिताक्षर कानून उत्तराधिकार द्वारा विरासत को भी मान्यता देता है, लेकिन केवल उस संपत्ति को जो अलग से किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला के स्वामित्व में है। मिताक्षर द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया जाता है।

कानून। हिंदू लॉ ऑफ इन्हेरिटेन्स (अमेंडमेंट) एक्ट 1929 से पहले, मिताक्षर के बंगाल, बनारस और मिथिला उप-विद्यालयों ने केवल पाँच महिला संबंधों को विरासत के हकदार के रूप में मान्यता दी थी- विधवा, बेटी,

माता पैतृक दादी और पैतृक परदादी-दादी। मद्रास उप-विद्यालय ने बड़ी संख्या में महिला उत्तराधिकारियों की वंशानुगत क्षमता को मान्यता दी जो कि बेटे की बेटी, बेटी की बेटी और बेटी की है।

बहन, उन उत्तराधिकारियों के रूप में जिन्हें हिंदू विरासत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1929 में स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बेटे की बेटी और बेटी की बेटी को बॉम्बे और मद्रास में बंधुओं के रूप में स्थान दिया गया। बॉम्बे स्कूल, जो महिलाओं के लिए सबसे उदार है, ने कई अन्य महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता दी, जिनमें एक सौतेली बहन, पिता की बहन और परिवार में शादी करने वाली महिलाएं जैसे सौतेली माँ, बेटे की विधवा, भाई की विधवा और कई अन्य महिलाओं को भी बंधू के रूप में वर्गीकृत किया गया। उपरोक्त चर्चाओं से, यह बहुत स्पष्ट है कि एक बेटी वास्तव में पिता की अलग संपत्ति विरासत में पाने में सक्षम थी।

8 (1863) 9 एल. आर. एस. द्वारा मिया 539 अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

न्यायिक पूर्वधारणाएँ

51. प्रिवी काउंसिल ने मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे पर कुछ उल्लेखनीय निर्णय दिए हैं। कटमा नच्चियार बनाम श्रीमुत राजा मूतू विजय रागनाधा बोधा गूरू सॉमी पेरिया ओडया तावेर 3 के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है। प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपील में विवाद शिवगंगा जमींदारी के विरासत के अधिकार के संबंध में था, जो मद्रास प्रेसीडेंसी के जिला मदुआ में स्थित है। प्रिवी काउंसिल ने लंबी मुकदमेबाजी और पक्षों के बीच दायर तीन मुकदमों के तथ्यों को नोटिस करने के बाद, जिन्हें प्रांतीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और तीन मुकदमों में से प्रत्येक में अपील दायर की गई थी, जिनकी एक साथ सुनवाई की गई थी और सुडर न्यायालय के डिक्री द्वारा निपटाया गया था। प्रिवी काउंसिल ने अंग मूट्टू नच्चियार द्वारा उसके समक्ष दिए गए निम्नलिखित तर्कों को नोट किया, जो इस प्रकार हैं:

" उन्होंने वास्तव में प्रस्तुत किया कि जमींदार था

अपने पति के एकमात्र प्रयासों और गुणों से अर्जित; और कानून के एक मुद्दे के रूप में कि एक आदमी द्वारा क्या हासिल किया जाता है, बिना

उसकी विरासत का रोजगार, उसके द्वारा विरासत में नहीं दिया जाएगा

भाई और सह-उत्तराधिकारी, लेकिन अगर वह पुरुष संतान के बिना मर जाता है, तो पहले अपनी विधवाओं, अपनी बेटियों और माता-पिता के पास जाएगा। उसके भाइयों या दूरस्थ संपार्श्विकों के पास जाना।

52. विवरण में तथ्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद, प्रिवी काउंसिल ने तीन प्रश्न प्रस्तुत किए:

" अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा जैसा कि अंग मूटू नच्चियार और प्रत्यर्थी के पूर्ववर्तियों के बीच था, क्या जमींदारी को पुरुष और संपार्श्विक रेखा में उतरना चाहिए था; और इस मुद्दे का निर्धारण निम्नलिखित में से एक या अधिक को दिए जाने वाले उत्तरों पर निर्भर करता है।

सवाल -

क्या गोवरी वल्लभ टेवर और उनके भाई ओया टेवर थे?

((i)

संपत्ति में अविभाजित, या बीच में विभाजन हुआ था

उन्हें?

((ख)

अगर वे अविभाजित थे, तो क्या जमींदारी स्व-अर्जित थी?

और अलग संपत्ति या गोवरी वल्लभ तावेर? और अगर सो

(iii)

हिंदू के अनुसार उत्तराधिकार का मार्ग क्या है?

इस तरह के अधिग्रहण का दक्षिण भारत का कानून, जहां [2022] 1 एस. सी. आर.

परिवार अन्य मायनों में एक अविभाजित परिवार है?

53. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, प्रिवी काउंसिल ने 1847 के डिक्री के निष्कर्षों को बाधित नहीं किया कि गोवरी वल्लभ और उनके भाई, जमींदारी के पूर्व द्वारा अधिग्रहण के बाद, जैसे कि वे अलग थे। दूसरा सवाल था -सकारात्मक रूप से लिखा गया। तीसरे प्रश्न के संबंध में, प्रिवी

सी. आई. एल. निम्नानुसार देखा गयाः

" तीसरा सवाल अच्छा और कुछ मुश्किल का है।

भारत में न्यायालय जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं

इस पर, पंडितों की राय और उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों पर आधारित है। हम वर्तमान में उन विचारों और अधिकारियों की जांच करेंगे; लेकिन ऐसा करने से पहले, विरासत के कानून पर अधिक पूरी तरह से विचार करना बेहतर होगा क्योंकि यह प्रचलित है।

मद्रास और पूरे भारत के दक्षिणी भागों में, और

भारत के इन हिस्सों में सिद्धांत मिताक्षर में और च में पाए जाते हैं। II., सेक. 1 , उस कार्य के पुरुष मुद्दे के डिफ़ॉल्ट में विरासत में प्राप्त करने के अधिकार पर पूरी तरह से विचार किया जाता है और चर्चा की जाती है। मिताक्षरा यज्ञवालस्य के पहले के संस्थानों पर एक टिप्पणी होने का तात्पर्य है; और विचाराधीन खंड शुरू होता है।

उस काम से एक पाठ का हवाला देते हुए, जो। सामान्य रूप से पुरुष मुद्दे की विफलता पर विरासत में पाने के अधिकार की पुष्टि करता है।

लेकिन फिर मिताक्षर के लेखक ने विभिन्न का उल्लेख किया है

अधिकारी जो जाहिरा तौर पर याज्ञवल्क्य के सिद्धांतों के साथ संघर्ष में हैं, और उन अधिकारियों की समीक्षा करने के बाद, चाहते हैं

उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कि "एक विवाहित पत्नी, पवित्र होने के नाते, एक आदमी की पूरी संपत्ति ले लेती है, जो अपने सह-उत्तराधिकारियों से अलग हो जाता है, और बाद में नहीं।

उनके साथ एकजुट होकर, कोई पुरुष मुद्दा नहीं छोड़ते हुए मर जाता है, "यह पाठ, यह सच है, अपने आप में लिया गया है, विधवाओं के अधिकारों को नहीं ले जाता है

अपने सह-उत्तराधिकारियों से अलग होने की स्थिति में, और कोई पुरुष मुद्दा नहीं छोड़ते हैं; लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि पाठ को विधवाओं के पक्ष में बड़े और अधिक सामान्य प्रस्ताव की योग्यता के रूप में प्रस्तावित किया गया है; और, परिणामस्वरूप, इसका अर्थ यह है कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि योग्यता की सीमाएँ क्या हैं, बजाय इसके कि अधिकार की सीमाएँ क्या हैं। अब, बहुत पाठ की शर्तें

उन सहजताओं को संदर्भित करती हैं जिनमें रुनाचल गौंडर (मृत) की पूरी संपत्ति एलआरएस द्वारा दी जाती है।

वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

मृतक उसकी अलग संपत्ति रहा है, और, वास्तव में,

जिस पूरे अध्याय में पाठ निहित है, वह केवल उन मामलों से संबंधित प्रतीत होता है जिनमें विचाराधीन संपत्ति या तो पूरी तरह से एक संयुक्त परिवार की सामान्य संपत्ति रही है, या पूरी तरह से मृत पति की अलग संपत्ति रही है।

विचाराधीन संपत्ति आंशिक रूप से सामान्य हो सकती है

एक इकाई 4 परिवार की संपत्ति, और आंशिक रूप से अलग

मृतक का अधिग्रहण; और हम यह नहीं मान सकते हैं कि क्योंकि विधवाएँ अपने पतियों की पूरी संपत्ति ले लेती हैं जब वे अलग हो जाते हैं, और बाद में उनके सह-उत्तराधिकारियों के साथ फिर से एकजुट नहीं होते हैं, और पुरुष मुद्दे को छोड़कर मर जाते हैं, वे, जब उनके पति इतने अलग नहीं हुए हैं, तो अपनी संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

हालाँकि यह उनके पति का अलग होना हो सकता है अधिग्रहण। इसलिए, यह पाठ हमें इस मामले को नियंत्रित करने के लिए प्रतीत नहीं होता है।

हमारे सामने मामले को नियंत्रित करने वाला कोई सकारात्मक पाठ नहीं होने के कारण, हमें इसे निर्धारित करने में मार्गदर्शन करने के लिए कानून के सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, यह देखा जाना चाहिए कि अलग संपत्ति के वंश के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदू कानून कोई विवादित नहीं है। यह स्वीकार किया जाता है कि, उस कानून के अनुसार, ऐसी संपत्ति पुरुष मुद्दे के डिफ़ॉल्ट में खिड़कियों में उतरती है। इसलिए, यह उत्तरदाता पर है कि वह यह बताए कि यहाँ विचाराधीन संपत्ति, जो अलग से थी।

अधिग्रहित, सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं उतरता है कानून से। जिस तरह से ऐसा करने का प्रयास किया जाता है, वह सह-भागीदारी की एक सामान्य स्थिति दिखाना है।

पारिवारिक संपत्ति; लेकिन यह मानते हुए कि यह साबित हो गया है, या

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सहसदस्यता की सामान्य स्थिति का कोई खंडन नहीं होने के कारण, यह प्रमाण, या प्रमाण का अभाव, मामले को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि यह कानून भी न हो कि संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य की संपत्ति नहीं हो सकती है, जो वंश से अलग पाठ्यक्रम में उतरती है।

ए का। संघ में धारित संपत्ति का हिस्सा; लेकिन ऐसा

प्रस्ताव नया है, प्राधिकरण द्वारा असमर्थित है, और भिन्न है सिद्धांत के साथ। थाई वंश के दो पाठ्यक्रम संयुक्त संपत्ति के आंशिक विभाजन पर प्राप्त कर सकते हैं, जो [2022] 1 एस. सी. आर. में एक मार्ग से स्पष्ट है।

डब्ल्यू. एच. मैकनाघटेन का "हिंदू कानून", शीर्षक "विभाजन", खंड। आई. पी. 53 , जहाँ यह इस प्रकार कहा गया हैः अधिक सही राय के अनुसार, जहां कोई अविभाजित अवशेष है, वह संयुक्त संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियमों के अधीन नहीं है; दूसरे शब्दों में, यदि सामान्य विभाजन में संपत्ति का कोई हिस्सा संयुक्त छोड़ दिया गया था, तो किसी मृत भाई की विधवा अलग होने के बावजूद भाग नहीं लेगी, लेकिन ऐसा अविभाजित अवशेष विशेष रूप से भाई को जाएगा। पुनः, यह अधिग्रहणकर्ता की मृत्यु का नाटक नहीं किया जाता है। अलग संपत्ति की, अलग से अधिग्रहित संपत्ति सामान्य स्टॉक में आती है, और पैतृक संपत्ति की तरह गुजरती है। इसके विपरीत, यह स्वीकार किया जाता है कि यदि अधिग्रहणकर्ता पुरुष निर्गम को छोड़ देता है, तो यह उस निर्गम के लिए तीसरी पीढ़ी तक अलग संपत्ति के रूप में उतर जाएगा। हालांकि, इसलिए, जहां पुरुष मुद्दा है, पारिवारिक संपत्ति और अलग संपत्ति नहीं होगी।

विभिन्न व्यक्तियों के लिए उतरते हैं, वे एक अलग तरीके से उतरते हैं, और। अलग-अलग अनुक्रमों के साथ; बेटे पैतृक संपत्ति में अपने पिता का हिस्सा लेते हैं, बशर्ते उस संपत्ति में सह-भागीदारों के सभी अधिकार हों, और उनकी स्व-अर्जित संपत्ति उन अधिकारों से मुक्त हो। उत्तराधिकार का क्रम होगा

परिवार और अलग संपत्ति के लिए समान नहीं है; और इसलिए, यह स्पष्ट है कि हिंदू कानून के अनुसार, स्वामित्व की एकता की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन हिंदू कानून को और अधिक बारीकी से देखने के लिए। जब एक संयुक्त हिंदू परिवार की सामान्य संपत्ति को विभाजित किया जाता है, तो विभाजित शेयर अलग संपत्ति के वंश के सामान्य क्रम में जाते हैं। क्यों, यह अच्छी तरह से पूछा जा सकता है, नहीं

यही नियम उस संपत्ति पर भी लागू होता है जो अपने पहले अधिग्रहण से हमेशा अलग रही है, हम मैक्नाघ्टन के "हिंदू कानून" से पहले ही उद्धृत अंश से देख चुके हैं, कि जहां विभाजन पर एक अवशेष को अविभाजित छोड़ दिया जाता है, जो विभाजित किया जाता है वह अलग संपत्ति के रूप में जाता है; जो अविभाजित है वह पारिवारिक संपत्ति का अनुसरण करता है; जो जैसा है वैसा ही रहता है, वह संपत्ति में विभाजित हो जाता है।

पुरानी रेखा; जो बदल जाती है और अलग हो जाती है, वह नई रेखा में बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, उत्तराधिकार का कानून संपत्ति की प्रकृति और उसमें ब्याज का अनुसरण करता है।

पुनः, ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर हिंदू कानून के अनुसार उत्तराधिकार का नियम निर्भर प्रतीत होता हैः

पहला एल. आर. एस. द्वारा बनाया गया रुनाचला गौंडर (मृत) है। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

जो अंतिम संस्कार की भेंट चढ़ाने के अधिकार को निर्धारित करता है,

और वह डिग्री जिसमें भेंट करने वाला व्यक्ति है

मृतक के आध्यात्मिक लाभ के लिए सेवा करना माना जाता है;

दूसरा उत्तरजीविता का एक कल्पित अधिकार है। अधिकाँश

अधिकारी विधवाओं के उत्तराधिकार के निर्विरोध अधिकार पर रोक लगाते हैं

अपने पतियों की संपत्ति, अपने रिश्तेदारों से अलग मरते हुए,

इन सिद्धांतों में से पहले पर (1 स्ट्रेंज का "हिंदू कानून", पी।

135) . लेकिन कुछ प्राचीन अधिकारी दूसरे का भी आह्वान करते हैं।

सिद्धांत।

फिर से, वह सिद्धांत जो वरीयता को प्रतिबंधित करेगा

खिड़कियों के ऊपर आंशिक संपत्ति के लिए सह-पार्सनर नहीं है

केवल, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, एक समझदार पर आधारित है

सिद्धांत, लेकिन कानून के साथ विरासत के कानून का मिलान करता है

विभाजन का। ये कानून, जैसा कि सर थॉमस स्ट्रेंज द्वारा देखा गया है,

वे इतने अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं कि उन्हें लगभग कहा जा सकता है

एक साथ मिश्रित; और यह निश्चित रूप से इसके अनुरूप नहीं है

स्थिति यह है कि सह-खरीददारों को अलग संपत्ति लेनी चाहिए

जब वे विभाजन पर इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। हम. हम आगे यह देख सकते हैं कि हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार है

जैसा कि हमने दिखाया है, केवल हिंदू कानून का संकेत नहीं है,

अपने सिद्धांतों के साथ सबसे सुसंगत है, लेकिन सबसे सुसंगत भी है सुविधा के साथ "।

54. प्रिवी काउंसिल के फैसले को पूरी तरह से पढ़ने पर

अतः, निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को बाहर निकाला गया हैः ए) कि हिंदू कानून के अनुसार अलग संपत्ति के उतरने का सामान्य पाठ्यक्रम विवादित नहीं है, यह स्वीकार किया जाता है कि उस कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति (अलग संपत्ति)

पुरुष मुद्दे की चूक में विधवा के लिए उतरता है।

बी)

अतः यह प्रत्यर्थी पर है कि वह यह पता लगाए कि संपत्ति

इसमें जो प्रश्न अलग से अधिग्रहित किया गया था, वह नहीं है

कानून के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार उतरता है।

अधिक सही राय के अनुसार जहाँ है

सी)

अविभाजित अवशेष, यह संयुक्त संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियमों के अधीन नहीं है, दूसरे शब्दों में यदि यह एक सामान्य विभाजन है तो संपत्ति का कोई भी हिस्सा मृतक की विधवा के साथ संयुक्त रूप से छोड़ दिया गया था।

अलग होने के बावजूद भाई भाग नहीं लेगा लेकिन इस तरह के अविभाजित अवशेष विशेष रूप से भाई के पास जाएंगे। घ) उत्तराधिकार का कानून संपत्ति की प्रकृति और [2022] 1 एस. सी. आर. का अनुसरण करता है।

उसमें रुचि।

विभाजन के कानून से पता चलता है कि अलग से अधिग्रहित

ई)

संयुक्त परिवार के एक सदस्य की संपत्ति, दूसरे की

परिवार के सदस्यों की कोई रुचि नहीं है

न ही अधिकार की एकता। इसलिए ऐसी संपत्ति लेने के अधिकार की नींव

एफ)

उत्तरजीविता विफल हो जाती है और विधवा के अधिकार को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है-अविभाजित संपत्ति में सह-पार्सनरों का कोई भी उच्चतर अधिकार।

हिंदू कानून केवल इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं है

जी)

लेकिन यह सुविधा के साथ भी सबसे सुसंगत है। 99

55. प्रिवी काउंसिल का एक और मामला शिवज्ञान तेवर और

बनाम पेरियासामी और अन्य "। . उपरोक्त मामला, प्रिवी काउंसिल के समक्ष निरंतरता और पिछले मामले कटमा हियर (सुप्रा) के परिणाम का है, लेकिन परिवार की एक अलग शाखा का है। उक्त में

यह निम्नानुसार देखा गयाः

" उनके प्रभुत्त्व तब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि,

मुत्तु वदुगा और धोराई के वंशजों के बीच

पांडियन, पलायापत उत्तरार्द्ध की अलग संपत्ति थी; कि धोराई पांडियन की मृत्यु पर, उनका अधिकार, यदि उनके पास कोई था

संपत्ति में बिना किसी निपटारे के छोड़ दिया, अपनी विधवा को दे दिया, परिवार की अविभाजित स्थिति के बावजूद; और वह

इसलिए, मामला ऐसा था जिसमें उत्तराधिकार का नियम था

शिवगंगा मामले में पुष्टि (सुप्रा) लागू होती है।

56. कानून के जिन सिद्धांतों का अनुमान पूर्वनिर्धारित निर्णय को पढ़ने से लगाया जा सकता है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

" कटामा नच्चियार बनाम श्रीमुत के मामले में निर्धारित कानून

पेरिया ओडया तावेर, हिंदुओं के मामले में वह उत्तराधिकार निर्वसीयत मरते हुए पुरुष को विरासत द्वारा शासित किया जाना है

उत्तरजीविता की तुलना में, पुनः पुष्टि की जाती है।

पुरुष सदस्य की अनुपस्थिति में, संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है विधवा और उसके बाद बेटी को।

(1) आई. एल. आर. मद्रास 312 1976 एल. आर. एस. द्वारा सभी 195 अरुणाचल गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

57. घुरपतरी और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ। बनाम श्रीमती। सम्पती और Ors.[1]0 ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या एक प्रथा जिसके तहत बेटियों को उनके पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार से बाहर रखा जाता है, क्या निहितार्थ से बेटियों के मुद्दों को पुरुष और महिला दोनों को भी इस तरह की विरासत से बाहर कर सकता है, एक विधवा या एक पुरुष हिंदू की बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

" 17. विधवा और बेटी द्वारा विरासत से संबंधित नियम प्राचीन काल में विभिन्न ऋषियों और ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए थे।

अंततः मिताक्षर में विज्ञानेश्वर द्वारा विस्तार से बताया गया। हम कोलब्रुक के अनुवाद से उद्धृत कर सकते हैं।

कात्यायन ने कहा, "विधवा को अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने दें, बशर्ते वह पवित्र हो; और अगर वह शादी नहीं करती है तो बेटी को उत्तराधिकारी बनने दें।" बृहस्पति ने कहा, "पत्नी का उच्चारण किया जाता है।

अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी; और उसकी चूक में बेटी; जैसे एक बेटा एक आदमी की बेटी उसके कई अंगों से आगे बढ़ती है, तो फिर कोई अन्य व्यक्ति पिता की संपत्ति कैसे लेगा? विष्णु ने कहा, "यदि कोई पुरुष न तो पुत्र, न ही पुत्र का पुत्र, न ही पत्नी, न ही स्त्री संतान को छोड़ता है, तो बेटी का पुत्र उसकी संपत्ति ले लेगा, क्योंकि पूर्वजों के उत्तराधिकार के संबंध में, बेटी का पुत्र बेटे का माना जाता है।

बेटा। " मनु ने इसी तरह घोषणा की कि "एक पुरुष बच्चे द्वारा, जो बेटी थी, चाहे औपचारिक रूप से नियुक्त की गई हो या नहीं, जन्म देगी।

एक समान वर्ग के पति से, नाना बेटे के बेटे के ग्रैंड सर बन जाते हैं, उस बेटे को अंतिम संस्कार का बलिदान देने दें और विरासत प्राप्त करें। बेटी और बेटी के बेटे के संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के अधिकार को मिताक्षर कानून में अच्छी तरह से मान्यता दी गई थी। उत्तराधिकार के क्रम में बेटी पांचवें स्थान पर है और बेटी का बेटा

छठे स्थान पर है "।

59. 1929 का हिंदू विरासत कानून (संशोधन) अधिनियम II (जिसे इसके बाद '1929 का अधिनियम' कहा जाता है), पहली बार बेटी की बेटी, जो एक विशेष परिवार या स्थानीय प्रथा के अधीन है, को सफल होने का हकदार बनाता है। 11 1 1 मुल्ला के हिंदू कानून के सिद्धांत (14 वां संस्करण)

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक पुरुष हिंदू की संपत्ति को। बेटी की बेटी तब उत्तराधिकार के क्रम में 13 वें-बी स्थान पर थी। अंतरराज्यीय रूप से मरने वाले और मिताक्षर कानून द्वारा शासित हिंदू की संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम मुल्ला के हिंदू कानून के सिद्धांतों के पैराग्राफ 43 में नीचे दिया गया है:

" सपिंडा निम्नलिखित क्रम में सफल हुए:

1-4 एक बेटा, पोता (बेटे का बेटा) और परपोते (बेटे के बेटे का बेटा) और (14 अप्रैल, 1937 के बाद) विधवा, पूर्व मृत बेटे की विधवा, और पूर्व मृत बेटे के बेटे की विधवा।

5. बेटी।

13. पिता के पिता

13.एक बेटे की बेटी

13.बी बेटी की बेटी

60. लाल सिंह और अन्य के मामले में। बनाम रूर सिंह और Ors.¹2, यह माना गया कि बेटी और बेटी के बेटे का तरजीही दावा है

संपार्श्विकों के विरुद्ध गैर-पैतृक संपत्ति।

61. गोपाल सिंह और अन्य के मामले में। बनाम. उजागर सिंह और

Ors.¹3 13, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि बेटी संपार्श्विक से अधिक अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में सफल होती है। यह

अदालत ने रैटिगन के डाइजेस्ट से 'प्रथागत कानून' में निम्नलिखित अवलोकन पर भरोसा किया:

" अपने पिता की अर्जित संपत्ति के संबंध में, बेटी

संपार्श्विक की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाती है।

62. देवीदास एंड ओआरएस में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है। बनाम विथाबाई और अन्र। 1 4. उक्त मामले में, एक

1936 में अरुजना की मृत्यु हो गई, जब उत्तराधिकार खोला गया और विभाजन के दौरान अंशों का निर्धारण करते समय अर्जुन के एक पूर्व-मृत पुत्र की बेटी, विठाबाई को एक हिस्से का हकदार माना गया। विठाबाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। उन्होंने अन्य राहतों के साथ एक तिहाई हिस्से का दावा करते हुए घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया।

12 55 पंजाब लॉ रिपोर्टर 168 172 13 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 579

1 4 2008 (5) Mh.L.J. एल. आर. एस. द्वारा 296 रुनाचला गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी, विठाबाई, प्रथम श्रेणी की बेटी होने के नाते उत्तराधिकारी थी और इस प्रकार, एक तिहाई हिस्से की हकदार थी और आदेश को पलट दिया। मामला दूसरे अल में उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने निचली अपीलीय अदालत की डिक्री को उलटते हुए और निचली अदालत की डिक्री की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 12. 1935 में जब जोलू की मृत्यु हुई, तब वह अपने पिता और भाइयों के साथ थे। इसलिए, सह-दृश्य में उनका हिस्सा होगा

उत्तरजीविता द्वारा विभाजित किया जाता है न कि उत्तराधिकार द्वारा। जोलू के पास कोई अलग संपत्ति नहीं थी और इसलिए, उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति के गुजरने का कोई सवाल ही नहीं था। मुल्ला के हिंदू कानून 19 वें संस्करण में धारा 24 का निम्नलिखित चित्रण दुर्भाग्य से दावे को नकारने के लिए पर्याप्त होगा।

वादी का। मामला पूरी तरह से इसके अंतर्गत आता है। चित्रण।

(1) मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित ए और बी दो हिंदू भाई एक संयुक्त और अविभाजित परिवार के सदस्य हैं। ए अपने भाई बी और एक बेटी को छोड़कर मर जाता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में ए का हिस्सा उसके भाई, जीवित सह-भागीदार को जाएगा, न कि उसकी बेटी को। हालाँकि, यदि ए और बी अलग होते, तो ए की संपत्ति उसकी मृत्यु पर उसकी बेटी को दे दी जाती।

वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है। जिन लोगों ने जिनका ज़ोलू का हिस्सा उनके भाइयों और पिता को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया गया था। बेटी को हिस्सा नहीं दिया जा सका।

उत्तराधिकार द्वारा क्योंकि वादी स्वयं अभिवचन करता है कि

संपत्ति संयुक्त थी और कोई विभाजन नहीं था। इसलिए, यह ज़ोलू की एक अलग संपत्ति नहीं थी ताकि उत्तराधिकार का शासन हो सके।

लागू किया जाता है। अतः संपत्ति के द्वारा पारित किया गया भाइयों और पिता के पक्ष में उत्तरजीविता जो थे

35

सह-भागीदार।

63. 174 वें विधि आयोग ने 'संपत्ति अधिकार' पर अपनी रिपोर्ट में

हिंदू कानून के तहत सुधारों का प्रस्ताव करते हुए शकुन ने कहा हैः

" 1.3. 3 मिताक्षर कानून उत्तराधिकार द्वारा विरासत को भी मान्यता देता है, लेकिन केवल उस संपत्ति को जो अलग से किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला के स्वामित्व में है। महिलाओं को [2022] 1 एस. सी. आर. के उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मिताक्षर कानून द्वारा इस तरह की संपत्ति। हिंदू उत्तराधिकार कानून (संशोधन) अधिनियम 1929 से पहले, मिताक्षर के बंगाल, बनारस और मिथिला उप-विद्यालयों ने केवल पाँच महिला संबंधों को विरासत के हकदार के रूप में मान्यता दी थी-विधवा, बेटी, मां, दादी और पैतृक।

महान-दादी माँ।

1. मद्रास के उप-विद्यालयों ने वंशानुगत क्षमता को मान्यता दी।

महिला उत्तराधिकारियों की एक बड़ी संख्या जो बेटे की है बेटी, बेटी की बेटी और बहन को उत्तराधिकारी के रूप में हिंदू विरासत कानून में स्पष्ट रूप से नामित किया गया था।

(संशोधन) अधिनियम, 1929।

2. बेटे की बेटी और बेटी की बेटी को बॉम्बे और मद्रास में बंधुओं के रूप में स्थान दिया गया। द बॉम्बे स्कूल

जो महिलाओं के लिए सबसे उदार है, कई अन्य महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता दी, जिनमें एक सौतेली बहन, पिता की बहन और परिवार में शादी करने वाली महिलाएं जैसे सौतेली मां, बेटे की विधवा, भाई की विधवा और कई अन्य महिलाओं को भी वर्गीकृत किया गया है।

बंधुओं।

64. उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथ के साथ-साथ विभिन्न प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखी गई टिप्पणियाँ भी स्पष्ट हैं।

व्यक्तियों और यहां तक कि न्यायिक घोषणाओं ने कई महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों को मान्यता दी है, जिनमें पत्नियां और बेटी सबसे प्रमुख हैं।

65. परिवार में महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार हर मामले में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार थे और कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि

कुछ टिप्पणीकारों ने पूर्ववर्ती स्मृतियों में महिलाओं के उत्तराधिकार के अस्पष्ट संदर्भों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में गलती की। इस मामले पर मिताक्षरा के विचार स्पष्ट हैं। विजेश्वर

यह भी कि कहीं भी इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है कि महिलाएं विरासत में पाने में अक्षम हैं।

हमारा विश्लेषण

66. किसी विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति या किसी की सह-आंशिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से के उत्तराधिकारी होने का अधिकार निर्वसीयत हिंदू पुरुष को न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा भी अच्छी तरह से पहचाना जाता है और इस प्रकार, प्रश्न संख्या का हमारा उत्तर। 1 और 2 निम्नानुसार हैं:

" यदि निर्वसीयत मरते हुए किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति एल. आर. एस. द्वारा स्व-अरुणाचल गौंडर (मृत) है।

वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

अर्जित संपत्ति या सह-संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त, वह विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी।

और उत्तरजीविता से नहीं, और ऐसे पुरुष की बेटी से हिंदू वरीयता में ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे।

अन्य संपार्श्विकों के लिए "।

67. हाथ में लिए गए मामले में, चूंकि विचाराधीन संपत्ति निश्चित रूप से मारप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति थी, जबकि उनकी मृत्यु के बाद परिवार संयुक्त होने की स्थिति में था, उनकी एकमात्र जीवित बेटी कुपयी अम्मल को विरासत में मिलेगी और संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी।

68. जहाँ तक सवाल का सवाल है, नहीं। 3 पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत संबंधित है, के क्रम के संबंध में विरोधाभासी राय हैं

ऐसी बेटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का पालन किया जाना चाहिए जो अपने पिता से संपत्ति विरासत में लेती है। एक स्कूल का मानना है कि ऐसी बेटी को विधवा की तरह सीमित संपत्ति विरासत में मिलती है, और उसकी मृत्यु के बाद मृत पुरुष के उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा जो उत्तरजीविता द्वारा विरासत का हकदार होगा। जबकि अन्य विचारधाराएँ इसके विपरीत दृष्टिकोण रखती हैं। राय का यह टकराव वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हो सकता है क्योंकि मरप्पा गौंडर की मृत्यु के बाद मुकदमा संपत्ति विरासत में मिलने के बाद मरप्पा गौंडर की बेटी कुपयी अम्मल की मृत्यु हो गई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद '1956 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) का प्रवर्तन, जिसने हिंदुओं के बीच निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू कानून में संशोधन और संहिताबद्ध किया है। इस अधिनियम की मुख्य योजना संपत्ति के अधिकारों के संबंध में पुरुष और महिला के बीच पूर्ण समानता स्थापित करना है और सीमित संपत्ति की सभी धारणाओं को पूरी तरह से समाप्त करते हुए महिला के अधिकारों को निरपेक्ष घोषित किया गया था। इस अधिनियम ने हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार के कानून में बदलाव लाए और ऐसे अधिकार दिए जो तब तक महिलाओं की संपत्ति के संबंध में अज्ञात थे। यह अधिनियम विरासत की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ मिताक्षर और दयाभाग स्कूलों द्वारा शासित व्यक्तियों और उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले मिताक्षर और दयाभाग स्कूलों द्वारा शासित थे।

मुरुमकट्टयम, अलियासंतन और नम्बूद्री कानून। यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, जो वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म परार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सहित अपने किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है और यहां तक कि किसी भी व्यक्ति पर भी जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, सिवाय उस व्यक्ति के जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी या सिख है। 1956 के अधिनियम की धारा 14 महिला [2022] 1 एस. सी. आर. की संपत्ति घोषित करती है।

हिंदू को उसकी पूर्ण संपत्ति होना, जो इस प्रकार हैः

" 14. एक महिला हिंदू की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होनी चाहिए।

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अधिग्रहित किसी भी हिंदू महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति, उसके पूर्ण मालिक के रूप में उसके पास होगी, न कि एक सीमित संपत्ति के रूप में।

मालिक।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा में, "संपत्ति" में किसी हिंदू महिला द्वारा विरासत या योजना द्वारा, या विभाजन पर, या रखरखाव या रखरखाव के बकाया के बदले में, या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा, चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो, उसके विवाह से पहले, उसके समय या उसके बाद, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या पर्चे द्वारा, या किसी अन्य तरीके से जो भी हो, अर्जित चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं, और

उससे तुरंत पहले स्त्रीधन के रूप में उसके पास ऐसी कोई संपत्ति थी

इस अधिनियम का प्रारंभ।

(2) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी उपहार के रूप में या वसीयत या किसी अन्य साधन के तहत या किसी दीवानी अदालत की डिक्री या आदेश के तहत या किसी ऐसे पुरस्कार के तहत अर्जित किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उपहार, वसीयत या अन्य दस्तावेज या डिक्री, आदेश या पुरस्कार की शर्तें ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करती हैं।

69. अधिनियम की धारा 14 (I) को लागू करने का विधायी इरादा एक हिंदू महिला की सीमा को दूर करना था जो पूर्ण दावा नहीं कर सकती थी।

उसके द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों में ब्याज लेकिन केवल विरासत में मिली संपत्ति में आजीवन हित था। 70. धारा 14 (I) ने महिलाओं के स्वामित्व वाली सभी सीमित संपदाओं को पूर्ण संपदाओं में परिवर्तित कर दिया और वसीयत या वसीयतनामे के अभाव में इन संपत्तियों का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुरूप होगा, जो निम्नानुसार हैः

" धारा-15। महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम

हिंदू।

(1) निर्वसीयत मरती हुई हिंदू महिला की संपत्ति

धारा 16 में निर्धारित नियमों के अनुसार, - (क) सबसे पहले, पुत्रों और पुत्रियों (किसी पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री के बच्चों सहित) और पति पर; एल. आर. एस. द्वारा रुनाचल गौंडर (मृत)।

(ख) दूसरा, पति के उत्तराधिकारियों पर;

(ग) तीसरा, माता और पिता पर; ((घ) चौथा, पिता के उत्तराधिकारियों पर; और

((ङ) अंत में, माता के उत्तराधिकारियों पर। (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी

(क) किसी हिंदू महिला को उसके पिता या माता से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति, मृतक के किसी बेटे या बेटी (किसी पूर्व-मृत बेटे या बेटी के बच्चों सहित) की अनुपस्थिति में, उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। धारा (1) उसमें विनिर्दिष्ट क्रम में, लेकिन पिता के उत्तराधिकारियों पर; और

(ख) किसी हिंदू महिला को उसके पति या उसके ससुर से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति मृतक के किसी बेटे या बेटी (बच्चों सहित) की अनुपस्थिति में हस्तांतरित हो जाएगी।

(क) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों पर नहीं, बल्कि पति के उत्तराधिकारियों पर।

धारा 16-उत्तराधिकार का आदेश और एक महिला हिंदू के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का तरीका।

धारा 15 में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार का क्रम होगा, और निर्वसीयत की संपत्ति का वितरण

उन उत्तराधिकारियों में से निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात्: नियम 1. - धारा 15 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में, एक प्रविष्टि में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो किसी भी धारा में हैं।

नियम 3. निर्वसीयत की संपत्ति का हस्तांतरण उप-धारा (1) के खंड (ख), (घ) और (ङ) में और धारा 15 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारी उसी [2022] 1 एस. सी. आर. में होंगे।

आदेश और उन्हीं नियमों के अनुसार जो लागू होते यदि संपत्ति पिता या माता या पति की होती, और ऐसे व्यक्ति की निर्वसीयत के तुरंत बाद निर्वसीयत मृत्यु हो गई होती।

मृत्यु "।

72. इस प्रकार, यदि किसी हिंदू महिला की बिना कोई संतान छोड़े निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाएगी, जबकि उससे विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाएगी। पति या ससुर पति के उत्तराधिकारियों के पास जाते थे। यदि किसी हिंदू महिला की अपने पति या किसी अन्य को छोड़कर मृत्यु हो जाती है, तो धारा 15 (1) (ए) लागू हो जाती है और उसके माता-पिता से विरासत में मिली संपत्तियों सहित बची हुई संपत्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

साथ ही अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) में प्रदान किए गए उसके पति और उसके मुद्दों पर।

73. धारा 15 (2) को लागू करने में विधायिका का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरने वाली महिला हिंदू की विरासत में मिली संपत्ति बिना किसी मुद्दे के जारी हो और निर्वसीयत, स्रोत पर वापस चला जाता है।

74. धारा 15 (1) (डी) में प्रावधान है कि प्रविष्टियों (ए)-(सी) में निर्दिष्ट महिला के सभी उत्तराधिकारियों का असफल होना, लेकिन तब तक नहीं, उसकी सारी संपत्ति जो भी अर्जित की गई है, पिता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। पर हस्तांतरण

पिता के उत्तराधिकारी उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार होंगे जो लागू होते यदि संपत्ति पिता की होती और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसकी निर्वसीयत मृत्यु हो जाती। वर्तमान मामले में कुपेयी अम्मल की मृत्यु के बाद 1967 में खोली गई वाद संपत्तियों के उत्तराधिकार के बाद से 1956 का अधिनियम लागू होगा।

15 1992 सप.

(3) एल. आर. एस. द्वारा एस. सी. सी. 108 रुनाचला गौंडर (मृत)। वी. पोन्नुसामी [कृष्णा मुरारी, जे।]

एतद्वारा रामासामी गौंडर की बेटियाँ उनके प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी हैं।

आर भी उत्तराधिकारी होगा और मुकदमे में प्रत्येक पांचवें हिस्से का हकदार होगा।75. इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम बलवंत सिंह और 15 के मामले में धारा 15 और 16 ई अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए कहाः

" 7. धारा 15 की उप-धारा (1) महिला के उत्तराधिकारियों को समूहीकृत करती है।

पाँच श्रेणियों में विभाजित और वे नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं

खंड (ए) से (ई)। धारा 16 नियम 1 के अनुसार एक खंड में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो बाद के खंडों में हैं।

और एक ही खंड में शामिल लोग लेंगे

एक साथ। धारा 15 की उप-धारा (2) एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उत्तराधिकार का आदेश वह नहीं है जो धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित किया गया है। यह सफलता के सामान्य क्रम के लिए दो अपवाद बनाता है।

या माँ। वह संपत्ति मृतक के किसी पुत्र या पुत्री (पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री के बच्चों सहित) की अनुपस्थिति में, उसमें निर्दिष्ट आदेश में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों को नहीं, बल्कि पिता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी। दूसरा अपवाद किसी हिंदू महिला को उसके पति या उसके ससुर से विरासत में मिली संपत्ति के संबंध में है। वह संपत्ति मृतक के किसी पुत्र या पुत्री (पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री के बच्चों सहित) की अनुपस्थिति में, उसके तहत निर्दिष्ट आदेश में उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों को नहीं, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी। पति।

8. निर्वसीयत के उत्तराधिकारियों की पहचान करने की प्रक्रिया

धारा 15 की उप-धारा (2) को भज्या 5 में समझाया गया है। गोपीकाबाई और अन्न। [1978] 3 एससीआर 561। वहाँ यह न्यायालय

यह देखा गया कि वह नियम जिसके तहत निर्वसीयत की संपत्ति

अधिनियम की धारा 16 के नियम 3 द्वारा विनियमित किया जाएगा। धारा 16 के नियम 3 में प्रावधान है कि "खंडों में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों पर निर्वसीयत की संपत्ति का हस्तांतरण।

(धारा 15 की उप-धारा (1) के ख), (घ) और (ङ) और उप-धारा (2) में एक ही क्रम में और उसके अनुसार होगा -

वही नियम जो लागू होते अगर संपत्ति होती

जैसा भी मामला हो, पिता या माता या पति का

हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति की उसके संबंध में निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी

निर्वसीयत की मृत्यु के तुरंत बाद "।

76. फिर से एल. आर. द्वारा भगत राम (मृत) के मामले में। पंजाब राज्य बनाम बलवंत सिंह और अन्य में लिए गए विचार को दोहराते हुए अधिनियम की धारा 14,15 और 16 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ बनाम तेजा सिंह (मृत)। (सुप्रा), निम्नानुसार देखा गयाः

" जिस स्रोत से उसे संपत्ति विरासत में मिलती है, वह हमेशा

यह महत्वपूर्ण है और यह स्थिति को नियंत्रित करेगा। अन्यथा

ऐसे व्यक्ति जो उस व्यक्ति से दूर से भी संबंधित नहीं हैं जो

मूल रूप से धारित संपत्ति विरासत के अधिकार प्राप्त करेगी

उस संपत्ति को। वह इरादे और उद्देश्य को विफल कर देगा

उप-धारा 15 की धारा 2, जो एक विशेष स्वरूप प्रदान करती है उत्तराधिकार।

77. उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्ताव को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, 1967 में कुपयी अम्मल की मृत्यु के बाद खोली गई वाद संपत्तियों के उत्तराधिकार के बाद से, 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस प्रकार रामासामी गौंडर की बेटी भी अपने पिता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होगी।

उत्तराधिकारी भी होंगे और प्रत्येक वाद संपत्ति में पांचवें हिस्से के हकदार होंगे।

78. दुर्भाग्य से, न तो निचली अदालत और न ही उच्च न्यायालय

खुद को तय किए गए कानूनी प्रस्तावों की ओर मोड़ दिया जो स्पष्ट रूप से हैं

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू।

79. इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.01.2009 के निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि किया गया विवादित निर्णय और डिक्री कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इसके द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं।

80. तदनुसार, अपील स्वीकृत है और मुकदमा कायम है।

घोषित किया गया।

81. तदनुसार एक प्रारंभिक डिक्री तैयार की जाए। यह पक्षकारों के लिए उपयुक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए खुला होगा

कानून के अनुसार अंतिम डिक्री तैयार करना।

82. हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।